सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh

जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला–जौनपुर, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh

विषय – सूची

अध्याय - 1 प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-3
अध्याय - 2 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4-5
अध्याय - 3 संरक्षित संस्मारकों - जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला – जौनपुर, उत्तर प्रदेश का स्थान और अवस्थिति		
3.1	संरक्षित संस्मारकों का स्थान और अवस्थिति	6-8
3.2	संरक्षित संस्मारकों की संरक्षित सीमा	8
	3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	8
3.3	संरक्षित संस्मारकों का इतिहास	8
3.4	संरक्षित संस्मारकों का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	8-9
3.5	वर्तमान स्थिति	9
	3.5.1 संरक्षित संस्मारकों की स्थिति-स्थिति आकलन	9
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	9
अध्याय - 4 स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो		
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	10
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	10
अध्याय - 5 प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना		
5.1	संरक्षित संस्मारकों की सर्वेक्षण योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11

	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11-12
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	12-13
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	13
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई	13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारकों और सूचीबद्ध धरोहर भवन	14
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	14
	5.2.8 संरक्षित संस्मारकों तक पहुंच	14
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	14
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	14
अध्याय - 6 संरक्षित संस्मारकों की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	15
6.2	संरक्षित संस्मारकों की संवेदनशीलता	15-16
6.3	संरक्षित संस्मारकों या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	16
6.4	भूमि उपयोग	16-17
6.5	संरक्षित संस्मारकों के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष	17
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	17
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	18
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	18
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	18
6.10	संरक्षित संस्मारकों और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	18
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	19
6.12	स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध विकास योजना	19
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	19
	6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	19-20
	6.13.2 पुनर्निर्माण	20
	6.13.3 नया निर्माण	20-23
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	23
अध्याय - 7 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	24
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	24

CONTENTS

CHAPTER - 1 **PRELIMINARY**		
1.1	Short title, Extent and Commencements	25
1.2	Definitions	26-27
CHAPTER - 2 **Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended**		
2.1	Background of the Act	28
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-Laws	28
2.3	Rights and Responsibilities of Applicant	28-29
CHAPTER - 3 **Location and Setting of the Protected Monuments - Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh**		
3.1	Location and Setting of the Protected Monuments	30-32
3.2	Protected Boundary of the Protected Monuments	32
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	32
3.3	History of the Protected Monuments	32
3.4	Description of the Protected Monuments (architectural features, elements, Materials etc.)	32-33
3.5	Current Status	33
	3.5.1 Condition of the Protected Monuments - condition assessment	33
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	33
CHAPTER - 4 **Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans**		
4.1	Existing Zoning	34
4.2	Existing Guidelines of the Local Bodies	34
CHAPTER - 5 **Information as per First Schedule and Survey Plan**		
5.1	Survey Plan of the Protected Monuments	35
5.2	Analysis of surveyed data	35
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	35
	5.2.2 Description of built up area	35-36
	5.2.3 Description of green/open spaces	36
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.	37

	5.2.5 Existing Heights of the Buildings	37
	5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings	37
	5.2.7 Public Amenities	37
	5.2.8 Access to the Protected Monuments	37-38
	5.2.9 Infrastructure services	38
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	38
CHAPTER - 6 **Architectural, Historical and Archaeological Value of the Protected Monuments**		
6.1	Architectural, Historical and Archaeological Value	39
6.2	Sensitivity of the Protected Monuments	39-40
6.3	Visibility from the Protected Monuments or Area and visibility from the Regulated Area	40
6.4	Land-use	40-41
6.5	Archaeological heritage remains other than the Protected Monuments	41
6.6	Cultural Landscapes	41
6.7	Significant natural landscapes	41
6.8	Usage of open space and constructions	42
6.9	Traditional, Historical and Cultural Activities	42
6.10	Skyline as visible from the Protected Monuments and from the Regulated Areas	42
6.11	Traditional Architecture	42-43
6.12	Developmental plan, as available by the local authorities	43
6.13	Permissible Building related parameters	43
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	43
	6.13.2 Reconstruction	44
	6.13.3 New Construction	44-46
6.14	Visitor facilities and amenities	46
CHAPTER - 7 **Site Specific Recommendations**		
7.1	Site Specific Recommendations	47
7.2	Other Recommendations	47

Annexures		
अनुलग्नक-I Annexure-I	जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh	48
अनुलग्नक-II Annexure-II	संरक्षित संस्मारकों की अधिसूचना Notification of the Protected Monuments	49-50
अनुलग्नक-III Annexure-III	जौनपुर किले की अभिलेखीय स्थल योजना और तुर्की के हम्माम की योजना Archival Site Plan of Jaunpur Fort and the Plan of Hammam of Turkish Bath	51
अनुलग्नक-IV Annexure-IV	जौनपुर महायोजना-2031 (संशोधित) Jaunpur Master Plan-2031 (Revised)	52
अनुलग्नक-IV(क) Annexure-IV(a)	जौनपुर महायोजना-2031 (संशोधित) विस्तृत Jaunpur Master Plan-2031 (Revised) Enlarged	53
अनुलग्नक-V Annexure-V	संरक्षित संस्मारकों और उसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र Images of the Protected Monuments and its surrounding areas	54-59

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संरक्षित संस्मारकों **"जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला–जौनपुर, उत्तर प्रदेश"**, के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उपनियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 04.07.2023 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला – जौनपुर, उत्तर प्रदेश" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन धरोहर उप-विधियों को संरक्षित संस्मारकों **"जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला–जौनपुर, उत्तर प्रदेश"**, के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2026 कहा जाएगा ।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन धरोहर उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय - 2

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय - 3

संरक्षित संस्मारकों - जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला–जौनपुर, उत्तर प्रदेश का स्थान और अवस्थिति

3.1 संरक्षित संस्मारकों का स्थान और अवस्थिति:

संरक्षित संस्मारकों **'जौनपुर किला'**, जिसे शाही किला भी कहा जाता है, जौनपुर शहर के मध्य में, गोमती नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक 14वीं शताब्दी का किला परिसर है। इसके परिसर में एक और संरक्षित संस्मारक है, जिसका नाम **'हम्माम या तुर्की स्नानागार'** है।

संरक्षित संस्मारकों के भौगोलिक निर्देशांक इस तरह हैं:

i. जौनपुर किला - **अक्षांश:** 25° 44' 59.00" उत्तर; **देशांतर:** 82° 41' 18.42" पूर्व ।

ii. तुर्की स्नान का हम्माम - **अक्षांश:** 25° 44' 57.33" उत्तर; **देशांतर:** 82° 41' 17.25" पूर्व ।

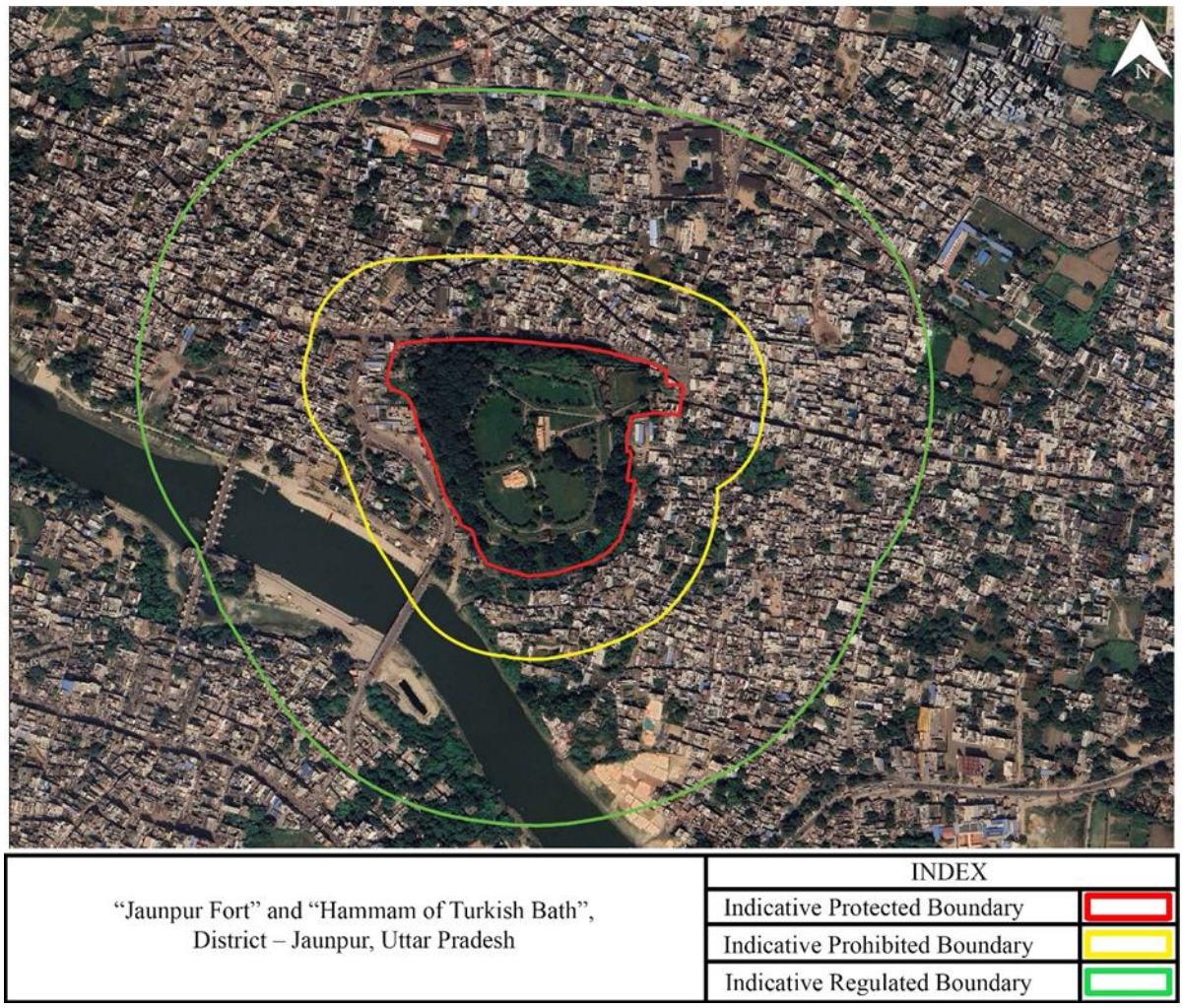

चित्र 1: जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला–जौनपुर, उत्तर प्रदेश का स्थान और अवस्थिति दर्शाता उपग्रह चित्र ।

जौनपुर किले का स्वरूप एक व्यापक इस्लामी सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है, जिसकी विशेषता मस्जिदों और मकबरों जैसी कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं। शहर के सापेक्ष किला परिसर की थोड़ी ऊँचाई पर रणनीतिक स्थिति ने इसके ऐतिहासिक संदर्भ में एक रक्षात्मक गढ़ और एक प्रशासनिक केंद्र, दोनों के रूप में इसके कार्य को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया। **(चित्र 2 देखें)** ।

जौनपुर किले के निकट, तीन और संरक्षित संस्मारक हैं, जिनके नाम हैं **'अटाला मस्जिद'**, **'शर्की वंश के सात राजाओं का कब्रिस्तान'**, और **'एक विशाल सिंह की पत्थर की मूर्ति'** । प्रतिषिद्ध और विनियमित सीमाएँ एक-दूसरे को ओवरलैप करती हैं और एक समूह बनाती हैं। **(चित्र 2 देखें)** ।

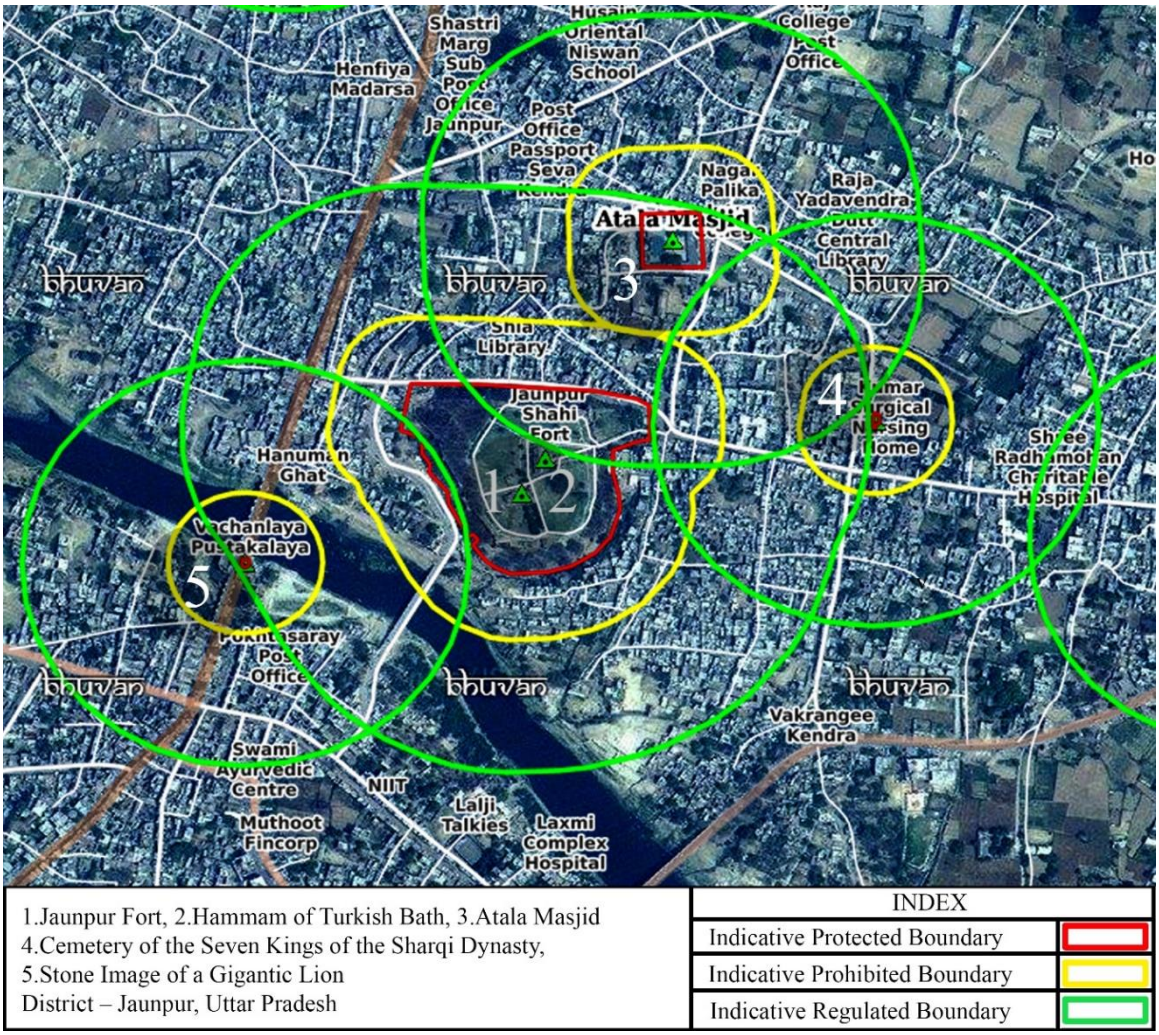

चित्र 2: संरक्षित संस्मारकों[1] के क्लस्टर को दर्शाता उपग्रह चित्र ।

संरक्षित संस्मारक जौनपुर की सबसे पुरानी ऐतिहासिक इमारतों में से हैं और लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी हैं। जौनपुर किले की परिधि उत्तरी और पश्चिमी दिशा में फोर्ट रोड (शाही किला रोड) से घिरी हुई है, जबकि पूर्वी दिशा में एक संकरी आंतरिक सड़क है। इन परिधीय सड़कों पर मुख्यतः आवासीय, मिश्रित उपयोग वाली और व्यावसायिक इमारतें हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन जौनपुर जंक्शन है, जो शहर में लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम

[1] (स्रोत: https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/culture_monuments/)

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग - 56 (लखनऊ-वाराणसी रोड) के माध्यम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी में स्थित है।

3.2 संरक्षित संस्मारकों की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारकों - जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक-I** पर देखी जा सकती है।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

संरक्षित संस्मारकों - जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** पर देखी जा सकती है।

3.3 संरक्षित संस्मारकों का इतिहास:

जौनपुर किला:

जौनपुर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में, गोमती नदी के किनारे बसा है। इसकी सबसे खास ऐतिहासिक जगहों में से एक है जौनपुर किला, जिसे आम तौर पर शाही किला कहा जाता है।

ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम शासकों के आने से पहले, आज के जौनपुर किले की जगह पर केरार कोट किला नाम का एक हिंदू गढ़ था, जिस पर भर, राजभर और सेवरी जैसे स्थानीय कबीले राज करते थे। बाद में, 1359 ई. में, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने आज का जौनपुर शहर बसाया और अपने बंगाल कैंपेन के हिस्से के तौर पर यह किला बनवाया।

यह किला न सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस के तौर पर काम करता था, बल्कि इस इलाके में तुगलकों की ताकत का भी प्रतीक था। यहीं से शर्की वंश का उदय हुआ, जिसकी स्थापना मलिक सरवर ने 1393 ई. में की थी। शर्की शासकों के राज में, जौनपुर अपने खास आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए जाना जाने लगा, जिसे अक्सर शर्की आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसकी पहचान बड़े-बड़े दरवाज़े, ढलान वाली दीवारें और ऊंचे खंभे थे जिनमें एक-एक गुंबद छिपा होता था।

हालांकि बाद के समय में इसमें गिरावट आई और इसे बार-बार नुकसान हुआ, फिर भी जौनपुर किला एक खास संस्मारक है, जो शहर के तुगलक की चौकी से फलती-फूलती शर्की राजधानी बनने के बदलाव को दिखाता है। गोमती नदी पर इसकी शानदार बनावट जौनपुर की ऐतिहासिक और आर्किटेक्चरल विरासत[2] की याद दिलाती है।

3.4 संरक्षित संस्मारकों का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

जौनपुर किले में कई संरचनाएँ हैं जैसे कि शानदार किला और उसका दरवाज़ा, तुर्की हम्माम और शाही मस्जिद विवरण इस तरह है:

[2] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सारनाथ मंडल ।

शाही किला:

शाही किला फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ई. में पुराने केरार कोट किले के बचे हुए हिस्सों पर बनवाया था। यह गोमती नदी के बाएं किनारे पर एक टेढ़ा-मेढ़ा चौकोर ढांचा है, जो मिट्टी के टीले पर बनी ऊंची पत्थर की दीवार से घिरा है। इसका प्रमुख प्रवेश, जो पूरब में है, एक बड़ा गेटवे है जिसमें बाहर निकले हुए खंभे, एक ऊंचा पत्थर का आर्च और सजावटी नक्काशी है। गेटवे में कई अंदर की ओर बने आर्च, सजावटी डिज़ाइन वाले पैनल और एक ब्रैकेट वाला कॉर्निस है। गोल छेद वाली बुर्ज उत्तर और दक्षिण से प्रवेश द्वार की सुरक्षा करती हैं।

तुर्की हम्माम:

टर्किश हम्माम जौनपुर किले के अंदर है, जिसे स्थानीय लोग *भूल-भुलैया* कहते हैं। यह कुछ हद तक ज़मीन के नीचे है, इसमें एक सेंट्रल हॉल और कई छोटे-छोटे आपस में जुड़े हुए सेल और चैंबर हैं। इन्हें अलग-अलग उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया था और इनमें गर्म और ठंडे पानी, टॉयलेट और दूसरी सुविधाओं की सुविधा थी, जो एक बड़े बाथ कॉम्प्लेक्स की तरह काम करते थे।

शाही मस्जिद:

किले में एक तीन गुंबद वाली मस्जिद भी है, जो 1377 ई. में खास बंगाली स्टाइल में बनी थी। इसका क्रेडिट सुल्तान फिरोज शाह के भाई इब्राहिम नायब बरबक को जाता है। इसके सामने एक ऊँची बलुआ पत्थर की मीनार है जिस पर अरबी में लिखा है। मस्जिद में अलग-अलग डिज़ाइन वाले खंभों की दोहरी लाइनें हैं, जिनमें से कई पहले के स्ट्रक्चर से दोबारा इस्तेमाल किए गए हैं। खंभों और पिलस्टर्स की व्यवस्था अनोखे लेकिन अजीब पैटर्न बनाती है, जिसमें कुछ बेस और टॉप उल्टे लगे हैं। पश्चिम की दीवार में *मेहराबों* के साथ अंदर की ओर बनी खाड़ियाँ हैं, बीच वाली सजावटी खंभों[3] से उभारी की गई है।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संरक्षित संस्मारकों की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित संस्मारकों का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारकों की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-V** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

संरक्षित संस्मारकों में प्रतिदिन औसतन लगभग 500-600 पर्यटक आते हैं। ईद, मुहर्रम और नए साल के सप्ताह जैसे सामयिक समारोहों के दौरान, यह संख्या बढ़कर लगभग 30,000-40,000 हो जाती है। इसके अलावा, स्थानीय क्षेत्र के निवासी सुबह की सैर और शारीरिक व्यायाम के लिए किले के परिसर में आते हैं, जिससे कुल पर्यटकों की संख्या[4] में इज़ाफ़ा होता है।

---

[3] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सारनाथ मंडल ।

[4] पूर्वोक्त ।

अध्याय - 4

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

i. जौनपुर मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) के अनुसार, संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में मौजूदा भूमि उपयोग क्षेत्र "*आवासीय*", "*व्यावसायिक*", "*सामुदायिक सुविधाएं*", "*कार्यालय*" और "*पार्क एवं खुले स्थल*" हैं। अनुलग्नक-IV और IV(क) देखें।

ii. जौनपुर मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) के अनुसार, अध्याय 10, पैरा 10.5 में उल्लिखित, जौनपुर के नियोजन क्षेत्र या प्रस्तावित शहरीकरण योग्य क्षेत्र को यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापक और नियोजित विकास की सुविधा के लिए चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संरक्षित संस्मारक 'जौनपुर किला' और 'तुर्की का हम्माम', अपने प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के साथ, इन चार क्षेत्रों[5] में से एक में आते हैं।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

i. "जौनपुर मास्टर प्लान-2031 (संशोधित)" और "उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल बिल्डिंग निर्माण और विकास उप-नियम और मॉडल ज़ोनिंग विनियम 2025", जैसा कि संशोधित किया गया है, में विनिर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम लागू हैं।

ii. "उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन निर्माण और विकास उप-नियम और मॉडल ज़ोनिंग विनियम 2025", अध्याय 2, पैरा 2.10 के अनुसार - संरक्षित संस्मारकों /विरासत स्थलों के निकट निम्नलिखित के लिए अनुमति:-

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/विरासत स्थलों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के अंदर विकास/भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विनियमित क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958, (यथा संशोधित)[6] के प्रावधानों के अंतर्गत पुरातत्व विभाग द्वारा दी गई अनापत्ति के आधार पर दी जाएगी।

(ख) संरक्षित संस्मारकों के अतिरिक्त, प्राधिकरण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं स्थापत्य डिजाइन विरासत[7] के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों/भवनों के आसपास विकास/निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए उपयुक्त शर्तें एवं प्रतिबंध निर्धारित कर सकता है।

---

[5] वर्तमान में उपलब्ध ऑनलाइन सारांशों और रिपोर्टों में चारों क्षेत्रों के विशिष्ट नाम और विस्तृत सीमाएं उपलब्ध नहीं हैं।

[6] उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के लिए आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं आदर्श जोनिंग विनियम 2025।

[7] पूर्वोक्त।

अध्याय - 5

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1) / सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संरक्षित संस्मारकों की सर्वेक्षण योजना:

जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** पर देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

i. प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 1,38,273 वर्ग मीटर (34.168 एकड़) है।

ii. विनियमित क्षेत्र लगभग 4,58,428 वर्ग मीटर (113.280 एकड़) है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवास, दुकानें, मस्जिदें, मीनारें और एक व्यावसायिक परिसर हैं। इस क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी भाग में अतिरिक्त आवास, दुकानें, एक मीनार और मस्जिदें स्थित हैं।

विनियमित क्षेत्र में, इसके आसपास एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, एक डाकघर और अटाला मस्जिद शामिल हैं। उत्तर-पूर्वी भाग में एक पुलिस चौकी, दो इंटर कॉलेज, नगरपालिका अतिथि गृह, एक मस्जिद, एक *मजार*, आवास, दुकानें और एक निजी आवासीय कॉलोनी शामिल हैं।

ii. **दक्षिण:**

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मंदिर, आवास, दुकानें और एक मस्जिद स्थित हैं, साथ ही एक धर्मशाला और गोमती नदी पर एक पुल भी है। कुछ दुकानें और आवास नदी के किनारे फैले हुए हैं।

विनियमित क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे कुछ आवास शामिल हैं। दक्षिण-पश्चिम में एक स्कूल, एक और पुल, एक मंदिर और आवास हैं।

iii. **पूर्व:**

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवास, दुकानें और मस्जिदें हैं, जबकि दक्षिण - पूर्व में एक मस्जिद के साथ-साथ अतिरिक्त आवास और दुकानें स्थित हैं।

विनियमित क्षेत्र में एक मस्जिद, आवास, दुकानें, एक टावर, एक स्कूल और एक होटल है, जबकि दक्षिण-पूर्व भाग में दुकानें, आवास, एक अन्य मस्जिद और एक स्कूल शामिल हैं।

iv. **पश्चिम:**

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवास, दुकानें, सार्वजनिक शौचालय, एक मंदिर और एक नगर पालिका कार्यालय स्थित हैं। उत्तर-पश्चिमी भाग में अतिरिक्त आवास, दुकानें, एक अस्पताल और एक मीनार शामिल हैं।

विनियमित क्षेत्र में आवास, दुकानें, एक स्कूल और एक मस्जिद के साथ-साथ गोमती नदी के तट पर हनुमान घाट और नदी पर पुराना "शाही पुल" भी है। उत्तर-पश्चिमी भाग में अतिरिक्त दुकानें, आवास, एक मस्जिद, एक *कब्रिस्तान* और एक अस्पताल भी शामिल हैं।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

निषिद्ध क्षेत्र में, खुले स्थान सीमित हैं, उत्तर-पश्चिम में अस्पताल परिसर के भीतर एक छोटा सा खुला क्षेत्र उपलब्ध है।

विनियमित क्षेत्र में खुले स्थानों में मौजूदा भवनों के बीच खाली भूखंड और अस्पताल परिसर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाकघर, अटाला मस्जिद और आसपास की आवासीय कॉलोनियों की भूमि शामिल है।

ii. **पूर्व:**

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, मौजूदा इमारतों के बीच कुछ खाली भूखंड हैं, साथ ही पार्किंग के लिए एक खुला मैदान और हरित आवरण के रूप में संरक्षित भूमि के कुछ हिस्से भी हैं।

विनियमित क्षेत्र में, खुले स्थान इमारतों के बीच खाली भूखंडों, हरित आवरण वाले क्षेत्रों और स्कूल परिसर के भीतर की भूमि के रूप में हैं।

iii. **दक्षिण:**

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में खाली भूखंडों और हरित आवरण वाले छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में खुले स्थान हैं, साथ ही गोमती नदी, उसके घाटों और नदी के किनारों पर स्थित अतिरिक्त खुले क्षेत्र भी हैं।

विनियमित क्षेत्र में, खुली भूमि मुख्य रूप से गोमती नदी और उसके किनारों से जुड़ी है और इमारतों के बीच अतिरिक्त खाली टुकड़े और हरित आवरण वाले क्षेत्र बिखरे हुए हैं।

iv. **पश्चिम**:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, मौजूदा इमारतों के बीच खाली भूखंड मौजूद हैं, और नगर पालिका कार्यालय परिसर के भीतर एक खुला क्षेत्र स्थित है।

विनियमित क्षेत्र में खुले स्थानों में इमारतों के बीच खाली भूखंड, *कब्रिस्तान* और दक्षिण-पश्चिम की ओर गोमती नदी के किनारे हनुमान घाट शामिल हैं।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

जौनपुर किला शहर की प्रमुख सड़कों के नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों और कलेक्टर सड़कों का एक नेटवर्क भी है जो आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाता है। इनमें से अधिकांश सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए अलग से फुटपाथ उपलब्ध नहीं हैं।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊँचाई:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र:

i. **उत्तर:**

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में, इमारतों की ऊँचाई जी+2 से जी+3 तक होती है, उत्तर-पश्चिम दिशा में 18 मीटर के कुछ अपवादों को छोड़कर। इस दिशा में स्थित अटाला मस्जिद की ऊँचाई लगभग 30 मीटर है।

ii. **पूर्व:**

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में, इमारतों की ऊँचाई जी+1 से जी+2 तक होती है, कुछ जी+3 संरचनाओं की ऊँचाई 14 मीटर तक होती है।

iii. **दक्षिण:**

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में, इमारतों की ऊँचाई जी+1 से जी+2 तक होती है, अधिकतम ऊँचाई 12 मीटर तक होती है।

iv. **पश्चिम:**

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, इमारतों की ऊँचाई जी+1 से जी+2 तक होती है। हालाँकि, विनियमित क्षेत्र में, हरलालका रोड, जो एक व्यावसायिक मार्ग है, के किनारे, औसत ऊँचाई जी+2 से जी+3 तक होती है, अधिकतम ऊँचाई 18 मीटर तक होती है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारकों और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग (राज्य पुरातत्व निदेशालय), उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत एक राज्य संरक्षित संस्मारक "शाही पुल" संरक्षित संस्मारक के दक्षिण-पश्चिम में विनियमित क्षेत्र में स्थित है।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

5.2.8 संरक्षित संस्मारकों तक पहुंच:

किला परिसर के पास दो पक्की (कोलतार) सड़कों के एक प्रमुख चौराहे से संरक्षित संस्मारक तक पहुँचा जा सकता है। मुख्य पहुँच मार्ग, फोर्ट रोड, उत्तरी दिशा में है, जो वाहनों के लिए सीधी पहुँच प्रदान करता है। यह पूर्व की ओर सुल्तान राजा रोड और सैदपुर-खजुरहट रोड को, और पश्चिम की ओर जौनपुर-भदोही रोड को जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क सुनिश्चित होता है।

एक अन्य मार्ग, मस्जिद स्ट्रीट रोड, किले को आस-पास के इलाकों और अटाला मस्जिद से जोड़ता है। आसपास की सड़कें पक्की और वाहन-योग्य हैं, जहाँ जौनपुर शहर के केंद्र और बस स्टैंड से स्थानीय परिवहन के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएँ (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र आवश्यक बुनियादी ढांचे सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी और सीवेज प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि से सुसज्जित हैं।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र की प्रस्तावित ज़ोनिंग:

जौनपुर महायोजना-2031(संशोधित) के अध्याय 10, पैरा 10.5 में उल्लिखित अनुसार, जौनपुर के नियोजन क्षेत्र या प्रस्तावित शहरीकरण योग्य क्षेत्र को व्यापक एवं नियोजित विकास हेतु चार ज़ोनों में विभाजित किया गया है। संरक्षित संस्मारकों 'जौनपुर किला' और 'तुर्की का हम्माम', अपने प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों सहित, ज़ोन 01 में आते हैं।

अध्याय - 6

संरक्षित संस्मारकों की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

संरक्षित संस्मारकों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि ये जौनपुर के राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाते हैं। 1360 ई. में फिरोज शाह तुगलक द्वारा पूर्व हिंदू गढ़ केरार कोट किले के अवशेषों पर निर्मित, यह इस क्षेत्र में तुगलक प्रभुत्व का एक प्रमुख चिह्न बन गया। शर्की राजवंश के अधीन, यह एक ऐसे गढ़ के रूप में विकसित हुआ जिसने जौनपुर की भारतीय-इस्लामी पहचान को परिभाषित किया, जबकि बाद में मुगल हस्तक्षेपों ने शाही नियंत्रण के लिए इसकी सुरक्षा को मजबूत किया। औपनिवेशिक काल में, विशेष रूप से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद, अंग्रेजों ने संरचना में परिवर्तन किए, जिससे सैन्य अनुकूलन के स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं। विभिन्न शासनों के दौरान किले का अस्तित्व इसके सामरिक महत्व और उत्तर भारत में राजनीतिक दावे और स्थापत्य परिवर्तन के एक कैनवास के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है।

वास्तुकला की दृष्टि से, शाही किला एक अनियमित चतुर्भुज के रूप में बना है, जिसमें विशाल पत्थर की दीवारें गोमती नदी के किनारे एक मिट्टी के टीले को घेरे हुए हैं। मुख्य पूर्वी प्रवेशद्वार, जो उभरे हुए खंभों, ऊँचे मेहराबों, नुकीली खाँचों और अलंकृत नक्काशी से सुदृढ़ है, तुगलक निर्माण की भव्यता को दर्शाता है, साथ ही परिष्कार के तत्वों को भी बरकरार रखता है। बुर्ज, छिद्रित मुँडेरें और युद्धग्रस्त दीवारें इसके रक्षात्मक स्वरूप को दर्शाती हैं। किले के भीतर, तुर्की हम्माम एक महत्वपूर्ण संरचना है। आंशिक रूप से भूमिगत, इसमें छोटे कक्ष, आले और एक केंद्रीय हॉल है, जो कभी गर्म और ठंडे पानी दोनों की सुविधाओं से सुसज्जित था। यह उस काल के सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शाही अवकाश एवं स्वच्छता से जुड़ी उन्नत इंजीनियरिंग प्रथाओं, दोनों को उजागर करता है।

इसके तीन गुंबद, विविध स्तंभ डिज़ाइन और अरबी शिलालेखों वाली ऊँची बलुआ पत्थर की मीनारें अवशेषों के अनुकूलनीय पुन: उपयोग और विशिष्ट शर्की शैली के विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। किला, हम्माम और मस्जिद मिलकर स्थायी ऐतिहासिक, स्थापत्य और पुरातात्विक मूल्यों का एक अनूठा संगम बनाते हैं, जो मध्यकालीन भारत में जौनपुर की शक्ति, संस्कृति और नवाचार के केंद्र के रूप में भूमिका का प्रतीक है।

6.2 संरक्षित संस्मारकों की संवेदनशीलता (विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

संरक्षित संस्मारक प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तर, पूर्व, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम की ओर, विविध आधुनिक निर्माणों से घिरे हुए हैं। इसके विपरीत, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशा में गोमती नदी के किनारे अपेक्षाकृत खुले भूभाग हैं, जो इस क्षेत्र को कुछ प्रकट दृश्य प्रदान करते हैं। हालाँकि, शहर के निरंतर विस्तार के साथ, ये आसपास के क्षेत्र अनियोजित निर्माण और विकास के दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं।

इतने विविध स्थानों पर स्थित होने के कारण, संरक्षित संस्मारक निम्नलिखित के प्रति संवेदनशील हैं:-

i. पश्चिम में हरलालका रोड के साथ व्यावसायिक क्षेत्र असंगत विकास दर्शाता है, जहाँ इमारतों की बढ़ती ऊँचाई जौनपुर किले और अटाला मस्जिद सहित आसपास के संरक्षित संस्मारकों की दृश्य अखंडता को प्रभावित कर रही है।

ii. पहुँच मार्गों पर सड़क किनारे विक्रेताओं और खोखों के अतिक्रमण से संरक्षित संस्मारकों की पृष्ठभूमि प्रभावित होती है।

iii. जौनपुर किले से अटाला मस्जिद का एक सूक्ष्म आंशिक दृश्य दिखाई देता है, लेकिन चल रहे शहरीकरण से संरक्षित संस्मारकों के बीच इस ऐतिहासिक दृश्य संपर्क के बाधित होने का खतरा है।

iv. क्षेत्र के पारंपरिक स्वरुप को प्रतिबिंबित करने वाली बिखरी हुई वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचनाएँ सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान करती हैं; हालाँकि, कई ने अपना मूल स्वरुप खो दिया है, और शेष संरचनाओं को संभावित परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है।

v. आसपास के क्षेत्र में मौजूदा मोबाइल टावर संरक्षित संस्मारक के दृश्य को बाधित करता है; ऐसे अतिरिक्त टावरों के निर्माण से इसकी दृश्य अखंडता और विरासत की संवेदनशीलता और भी कम हो सकती है।

6.3 संरक्षित संस्मारकों या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारकों से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारकों से दृश्यता उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम की ओर घनी शहरी संरचना से प्रभावित है, जिसके बीच-बीच में पेड़ भी दृश्य अवरोध का काम करते हैं। अटाला मस्जिद की झलक भी दिखाई देती है। दक्षिण की ओर, आधुनिक निर्माणों और इमारतों की पृष्ठभूमि के साथ गोमती नदी का विस्तृत विस्तार देखा जा सकता है।

विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

उत्तर, पूर्व, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम दिशाओं में, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आधुनिक निर्माण के कारण संरक्षित संस्मारक की दृश्यता अस्पष्ट है। इसके विपरीत, किले की दीवारें दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं से स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।

6.4 भूमि उपयोग:

जौनपुर महायोजना-2031 (संशोधित) के अनुसार संरक्षित संस्मारकों के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निम्नलिखित भूमि-उपयोग की पहचान की गई है।

संरक्षित संस्मारकों:

संरक्षित संस्मारकों "जौनपुर किला" और "तुर्की का हम्माम" को "सामुदायिक सुविधाएँ" भूमि उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत "*ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल*" के रूप में नामित किया गया है। जौनपुर

किले के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी दिशाओं में स्थित परिधीय क्षेत्रों को "*पार्क एवं खुले स्थल*" भूमि उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत "*पार्क/खुले स्थान*" के रूप में नामित किया गया है।

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र:

उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में विद्यमान आवासीय बस्तियों को "*आवासीय*" भूमि उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत "*निर्मित क्षेत्र*" (घना निर्मित क्षेत्र) के रूप में नामित किया गया है। गोमती नदी के उस पार दक्षिण दिशा में आवासीय बस्तियों के भाग को "*आवासीय*" भूमि उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत "*आवासीय*" के रूप में नामित किया गया है।

पश्चिम की ओर, हरलालका रोड के दोनों ओर की संरचनाओं को "*व्यावसायिक*" भूमि उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत "*सामान्य व्यावसायिक*" के रूप में नामित किया गया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय, कोतवाली चौराहा के पास जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके आस-पास के क्षेत्र और आरएसकेडी इंटर कॉलेज जौनपुर को "सामुदायिक" भूमि उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत "*शैक्षिक सुविधाएं*" के रूप में नामित किया गया है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कार्यालय, डाकघर और आसपास की भूमि को "*कार्यालय*" के रूप में नामित किया गया है। अटाला मस्जिद को "*सामुदायिक सुविधाएं*" भूमि उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत "*ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल*" के रूप में नामित किया गया है।

नदी तट को "*पार्क एवं खुले स्थल*" भूमि उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत "*नदी तट विकास/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र*" (नदी तट विकास/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र) के रूप में नामित किया गया है। अनुलग्नक-IV और IV(क) देखें ।

6.5 संरक्षित संस्मारकों के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में कोई ज्ञात या रिपोर्टित पुरातात्विक विरासत अवशेष नहीं हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

जौनपुर किला, तुर्की का हम्माम के साथ, जौनपुर के सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है और कई शताब्दियों तक फैले ऐतिहासिक, स्थापत्य और शहरी तत्वों के समृद्ध संश्लेषण को दर्शाता है। शहर में संरक्षित सस्मारकों का एक नेटवर्क है, जिसमें अटाला मस्जिद और अन्य शर्की-युग की संरचनाएं शामिल हैं, जो पारंपरिक आवासीय और वाणिज्यिक बस्तियों के साथ मिश्रित हैं, जो एक साथ मिलकर एक अद्वितीय शहरी ताना-बाना बनाते हैं। शहर के दक्षिणी किनारे पर बहने वाली गोमती नदी इस परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है, जो खुली जगह, दृश्य राहत और एक प्राकृतिक सेटिंग प्रदान करती है जो प्रमुखता को बढ़ाती है। सांस्कृतिक प्रथाएं, दैनिक जीवन और त्योहार इन विरासत स्थलों और नदी तट के आसपास पनपते रहते हैं, जो क्षेत्र के सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व को सुदृढ़ करते हैं। पारंपरिक वास्तुकला, ऐतिहासिक सड़क दृश्य और बिखरी हुई विरासत इमारतें स्मारकों और प्राकृतिक विशेषताओं के पूरक हैं जो एक संसक्त और गतिशील सांस्कृतिक भू-दृश्य बनाते हैं ।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संरक्षित संस्मारकों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

संरक्षित संस्मारकों के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में बहने वाली गोमती नदी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य विशेषता है, जो सांस्कृतिक भूदृश्य का एक अभिन्न अंग है। हालाँकि अब दृश्य रूप से अलग हो गई है, फिर भी नदी और किले के बीच ऐतिहासिक संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गोमती नदी संस्मारक के परिवेश में प्राकृतिक और ऐतिहासिक मूल्य का योगदान देती रहती है।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में मौजूदा इमारतों के बीच स्थित खुले स्थानों का उपयोग मुख्यतः पार्किंग क्षेत्र या सार्वजनिक समारोहों के लिए किया जाता है। कॉलेज परिसरों, संस्थागत परिसरों और आवासीय कॉलोनियों के भीतर खुले क्षेत्र उद्यानों, पार्कों, मैदानों और खेल के मैदानों के रूप में कार्य करते हैं। दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में, गोमती नदी के किनारे बने घाटों के खुले स्थान मनोरंजन, धार्मिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं।

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निर्माणों का उपयोग संस्थागत, वाणिज्यिक, आवासीय, सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक, कार्यालय, परिवहन और पर्यटन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र मुख्यतः घनी शहरी बस्तियों से आबाद हैं और यहाँ पारंपरिक या ऐतिहासिक गतिविधियाँ सीमित हैं। हालाँकि, गोमती नदी तट पर अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते हैं। इसके घाट धार्मिक समारोहों और सामुदायिक समारोहों के लिए सक्रिय रहते हैं, और विशेष रूप से त्योहारों के दौरान एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल के रूप में कार्य करते हैं।

6.10 संरक्षित संस्मारकों और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संरक्षित संस्मारकों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

जौनपुर किले से उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में दिखाई देने वाला क्षितिज घने शहरी परिवेश से युक्त है, जिसके बीच-बीच में पेड़-पौधे और मोबाइल तथा टेलीफोन एक्सचेंज के टावर हैं। दक्षिण की ओर, क्षितिज का स्वरूप भी ऐसा ही है, लेकिन गोमती नदी का विस्तृत विस्तार इसे विशिष्ट बनाता है, जो निर्मित परिवेश को एक अग्रभूमि प्रदान करता है।

विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

विनियमित क्षेत्र से उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में दिखाई देने वाला क्षितिज एक विशिष्ट शहरी रूपरेखा से युक्त है, जिसमें मिश्रित उपयोग वाली इमारतों की प्रमुखता है, और ऐतिहासिक और स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचनाओं की झलकियाँ कभी-कभार ही दिखाई देती हैं। संरक्षित संस्मारक इन दिशाओं में क्षितिज का हिस्सा नहीं है। इसके विपरीत, दक्षिण दिशा से दिखाई देने वाला क्षितिज प्रमुख किले की दीवारों द्वारा परिभाषित होता है, जो एक प्रमुख दृश्य विशेषता के रूप में उभर कर सामने आती हैं।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में स्पष्ट पारंपरिक वास्तुकला, शर्की राजवंश (14वीं-15वीं शताब्दी) के दौरान विकसित हुए इंडो-इस्लामिक डिज़ाइन सिद्धांतों के संश्लेषण द्वारा चिह्नित है। यह विशाल अनुपात, सादे लेकिन प्रभावशाली अग्रभागों और स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थर और चूने के प्लास्टर के उपयोग के माध्यम से व्यक्त की गई है। अटाला मस्जिद जैसी प्रमुख मस्जिदें, चौड़े मेहराबदार द्वारों, ऊँचे तोरणों और संयमित अलंकरण के माध्यम से इस स्थापत्य शैली का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जो एक विशिष्ट सादगीपूर्ण स्वरूप प्रदान करती हैं।

इन क्षेत्रों में पारंपरिक आवासीय भवन चूने के गारे से ईंटों की चिनाई में निर्मित होते हैं, जिनमें प्लास्टर का काम और लौवर लकड़ी के शेड वाली सजावटी बालकनियाँ होती हैं। ब्रैकेट के रूप में लोहे के सेक्शन गर्डरों का उपयोग भी स्पष्ट है, जो अलंकरण की तुलना में संरचनात्मक मजबूती पर ज़ोर देता है। अग्रभाग आम तौर पर सादे लेकिन आनुपातिक होते हैं, जो एक सुसंगत सड़क परिदृश्य में योगदान करते हैं, जबकि समग्र स्थापत्य स्वरूप को सुगठित लेआउट, संकरी परस्पर जुड़ी सड़कों और समन्वित विवरणों द्वारा परिभाषित किया गया है।

6.12 स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध विकास योजना:

जौनपुर महायोजना-2031 (संशोधित)। अनुलग्नक-IV और IV(क) देखें।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

संरक्षित संस्मारकों - "जौनपुर किला" और "तुर्की का हम्माम", जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश अन्य संरक्षित स्मारकों के करीब स्थित है, जैसे; 'अटाला मस्जिद', 'शर्की वंश के सात राजाओं का कब्रिस्तान', और 'एक विशाल शेर की पत्थर की मूर्ति', एक समूह बनाते हैं (चित्र 2 देखें), इसलिए, इन संरक्षित संस्मारकों के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र ओवरलैप होते हैं। इसलिए इन संरक्षित संस्मारकों के हेरिटेज उपनियमों को एक दूसरे के साथ पढ़ा जाना चाहिए। निर्माण की साइट के एक संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र और दूसरे संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में एक साथ पड़ने की स्थिति में, निर्माण स्थल को केवल प्रतिषिद्ध क्षेत्र में पड़ने वाला माना जाएगा, और भवन संबंधी पैरामीटर तदनुसार लागू होंगे। इसके अलावा, यदि निर्माण स्थल दो अलग-अलग स्मारकों के विनियमित क्षेत्र में आता है, तो प्रस्तावित निर्माण के कारण निर्माण स्थल के निकट स्थित संस्मारक पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन

किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी की क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

सामान्य शब्दों में, एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

"जौनपुर महायोजना-2031 (संशोधित)" और "उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उप-विधि 2025" में यथा संशोधित, विनिर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम लागू होंगे।

हालाँकि, इस धरोहर उपविधि में निर्दिष्ट ऊँचाई और अन्य भवन-संबंधी मानदंड संरक्षित संस्मारकों के विनियमित क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण के लिए लागू होंगे।

1. स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित या छत पर कोई अन्य सेवाएं):

i. नए निर्माण या मौजूदा भवनों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊँचाई सीमा **13.50 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, जेनरेटर कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित या छत पर कोई अन्य सेवाएँ)।

ii. बेसमेंट के निर्माण को सामान्यतः हतोत्साहित किया जाएगा।

iii. जौनपुर महायोजना-2031 (संशोधित) में रेखांकित गोमती नदी के तटों और जौनपुर के समीपवर्ती निचले इलाकों को बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किए जाने के मद्देनजर, यह अनुशंसा की जाती है कि नदी बफर और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों (उच्चतम बाढ़ स्तर) के साथ अतिव्याप्त नामित विकास और निर्माण निषेध क्षेत्र (एनडीसीजेड) के भीतर किसी भी नए निर्माण की अनुमति न दी जाए।

2. उपयोग:

i. उपयोग **'जौनपुर महायोजना-2031 (संशोधित)' के अध्याय 11, ज़ोनिंग विनियमों** के अनुसार होगा।

ii. आसपास के क्षेत्र का सामान्य स्वरूप वर्तमान स्वरूप में ही बनाए रखा जाना चाहिए।

iii. ऐतिहासिक और स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतों का उपयोग और स्वरूप (पदचिह्न और अग्रभाग) भविष्य में भी बरकरार रहना चाहिए। ऐतिहासिक संरचना में किसी भी प्रकार का बाहरी संवर्धन, चाहे वह क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर, हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iv. किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र के भीतर भूमि का कोई भी रूपांतरण राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण से पूर्व परामर्श के बाद ही किया जाना चाहिए।

3. अग्रभाग डिजाइन:

i. नए निर्माण का अग्रभाग डिज़ाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए, ताकि यह संरक्षित संस्मारक पर हावी न हो।

ii. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी फिनिशिंग के लिए एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी हस्तक्षेपकारी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. रंगीन चमकदार अग्रभाग के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iv. विनियमित क्षेत्र में स्थित सभी भवनों के लिए दुकानों और आवासों के अनौपचारिक विस्तार को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

i. सपाट छत का डिज़ाइन अपनाया जा सकता है, जिसमें किनारों पर कम ऊँचाई वाली पैरापेट दीवारें हों।

ii. छत पर एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या ऐसी ही अन्य सामग्रियों से बने अस्थायी प्रकृति के ढांचे के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

iii. छत पर रखी जाने वाली सभी सेवाओं जैसे-बड़ी एयर कंडीशनिंग यूनिट, छत पर जल भंडारण टैंक या बड़े जेनरेटर सेट को स्क्रीन वॉल (ईंट/सीमेंट शीट, लूवर, जालियाँ या इसी प्रकार के डिज़ाइन तत्व) द्वारा ढका जाना चाहिए। ये सभी सेवाएँ अधिकतम अनुमेय ऊँचाई में शामिल मानी जाएँगी।

5. निर्माण सामग्री:

i. संरक्षित संस्मारक से संबंधित सभी सड़क अग्रभाग पर भवन निर्माण सामग्री और रंग में समानता बनाए रखी जानी चाहिए।

ii. आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे ईंट और सीमेंट का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते वे संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के विरासत स्वरूप के लिए बाधक न हों।

iii. बाहरी फिनिश के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्यूमिनियम क्लैडिंग, ग्लास ब्रिक्स तथा अन्य कोई सिंथेटिक टाइल या सामग्री का उपयोग हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

6. रंग:

बाहरी रंग संरक्षित संस्मारक के साथ सामंजस्य रखते हुए तटस्थ स्वर का होना चाहिए, जैसे कि सफेद, बेज और अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के वातावरण के साथ कोई विपरीत प्रभाव न डालें।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो रेल प्रणाली (भूमिगत या एलिवेटेड), रेल या सड़क ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाओं, या इसी तरह की विकास परियोजनाएं तथा जनहित में संस्थागत भवनों का निर्माण अथवा जो जनता के लिए आवश्यक हो जैसी कोई भी बड़े पैमाने की सार्वजनिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन (एचआईए) रिपोर्ट के अधीन होंगे। ऐसी परियोजनाओं पर तभी विचार किया जा सकता है जब यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए कि इनसे संरक्षित संस्मारक या उसके आसपास के क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा, रक्षा, दृश्य अखंडता या सुगम्यता पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन:

जहां तक संभव हो, आगंतुक की सुख-सुविधाओं और साधनों पर विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय - 7

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

i. स्थानीय निकायों द्वारा बाढ़-प्रवण क्षेत्र में आम जनता की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु किए गए उपायों की अनुमति दी जा सकती है।

ii. सड़क के किनारे स्थित सभी अस्थायी ढांचों जैसे-ढाबे/वर्कशॉप/रोडसाइड वेंडिंग किओस्क आदि को संरक्षित संस्मारकों के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र से दूर स्थानांतरित किया जा सकता है।

iii. स्थानीय प्रशासन को संरक्षित संस्मारकों की पहुँच सड़क पर अतिक्रमणों के समाधान हेतु सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

iv. संरक्षित संस्मारकों या उसके आसपास के क्षेत्रों में साइनज के लिए एलईडी या डिजिटल संकेत, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी भी अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

v. संरक्षित संस्मारकों के आसपास, विशेषकर उसकी सीमाओं पर, होर्डिंग, बिलबोर्ड और पोस्टरों के रूप में किसी भी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

vi. विनियमित क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टावर, विद्युत संचरण टावर, चिमनियाँ तथा ऊँचे जल टैंक जैसी संरचनाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उनके नियोजन को विनियमित क्षेत्र के बाहर पर विचार किया जा सकता है।

vii. यदि मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए, तो वह संरक्षित संस्मारकों की संरक्षित सीमा से दूर की दिशा में किया जाना चाहिए।

viii. संरक्षित संस्मारकों के आसपास के क्षेत्र में आवागमन के लिए पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संरक्षित संस्मारकों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

ix. वर्षा जल संचयन जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं सहित ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. जब भी मास्टर प्लान, क्षेत्रीय योजना या विकास योजना तैयार की जाए या उसमें संशोधन किया जाए, तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और उनके प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ यथासंभव निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए।

iii. इस क्षेत्र को प्लास्टिक एवं पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iv. सांस्कृतिक विरासत स्थलों एवं परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011 the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monuments **"Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh"**, prepared by the Competent Authority, in consultation with the Indian Institute of Technology BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, were published on 04.07.2023, as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011 for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh"

CHAPTER - 1

PRELIMINARY

1.1 Short title, Extent and Commencements:

(i) These Heritage Bye-Laws may be called the National Monuments Authority Heritage Bye-Laws, 2026 of the Protected Monuments **"Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh"**.

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these Heritage Bye-Laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences,

or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER 2

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or miningoperation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. Ibid Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case maybe.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case maybe, make an application to the Competent Authority for carrying out constructionor re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER - 3

Location and Setting of the Protected Monuments – Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh

3.1 Location and Setting of the Protected Monuments:

The Protected Monument **'Jaunpur Fort'**, also referred to as Shahi Quila, is a 14th century fort complex situated in the heart of Jaunpur city, on the North bank of the Gomti River. Within its premises, there is another Protected Monument, namely **'Hammam or Turkish Bath'**.

The geographical coordinates of the Protected Monuments are as follows:

i. Jaunpur Fort - **Latitude:** 25° 44' 59.00" N; **Longitude:** 82° 41' 18.42" E.

ii. Hammam of Turkish Bath - **Latitude:** 25° 44' 57.33" N; **Longitude:** 82° 41' 17.25" E.

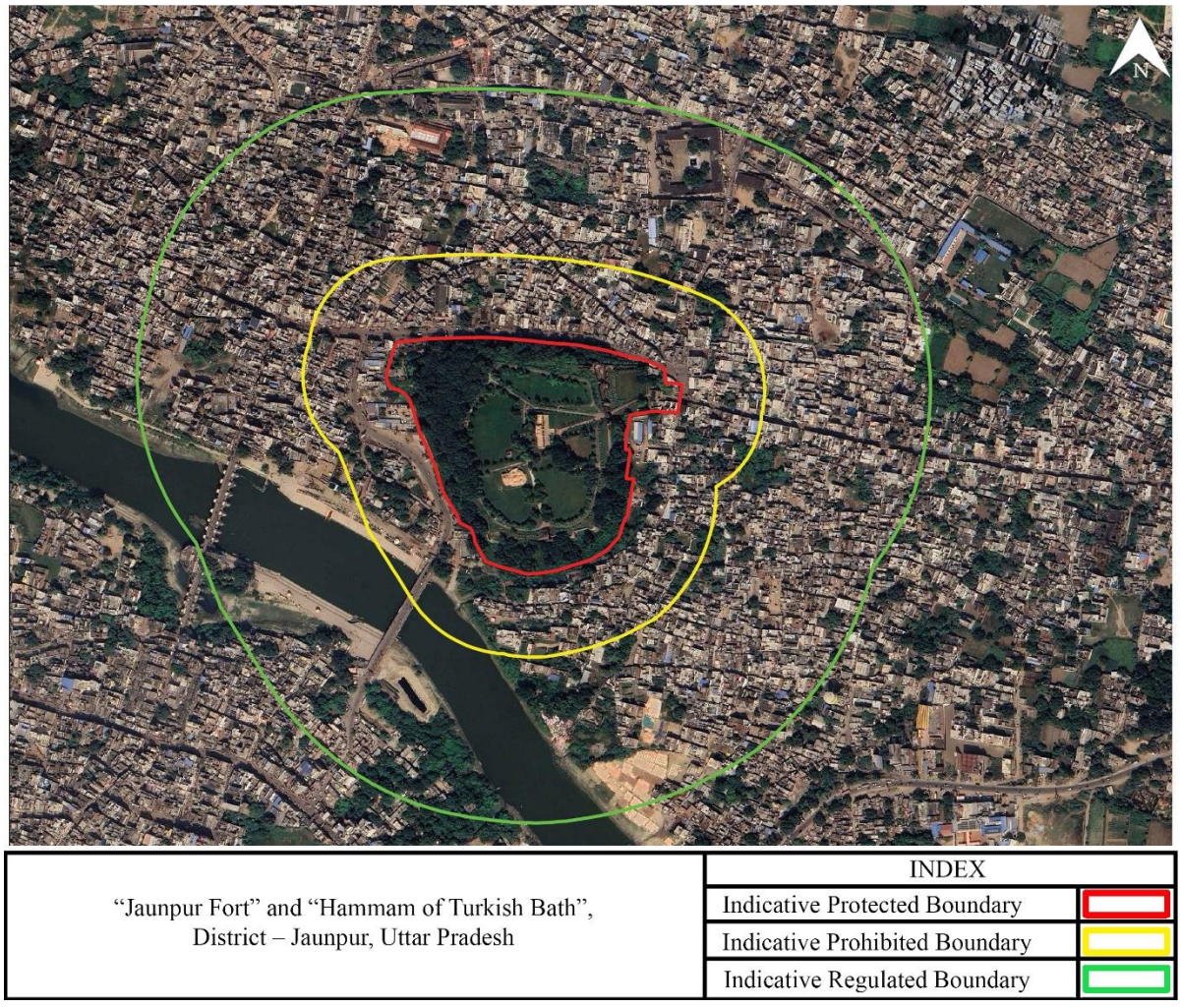

Figure 1: Satellite imagery showing the location and setting of - Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh.

The setting of the Jaunpur Fort forms part of a broader Islamic cultural landscape, characterised by several significant establishments such as mosques and tombs. The strategic positioning of the fort complex on a slightly elevated terrain with respect to the town significantly strengthened its function as both a defensive stronghold and an administrative centre in its historical context. **(Refer to Figure 2)**.

In the close proximity of the Jaunpur Fort, there are three more Protected Monuments, namely the **'Atala Masjid'**, **'Cemetery of the Seven Kings of the Sharqi Dynasty'**, and **'Stone Image of a Gigantic Lion'**. The Prohibited and Regulated boundary overlaps, forming a cluster. **(Refer to Figure 2)**.

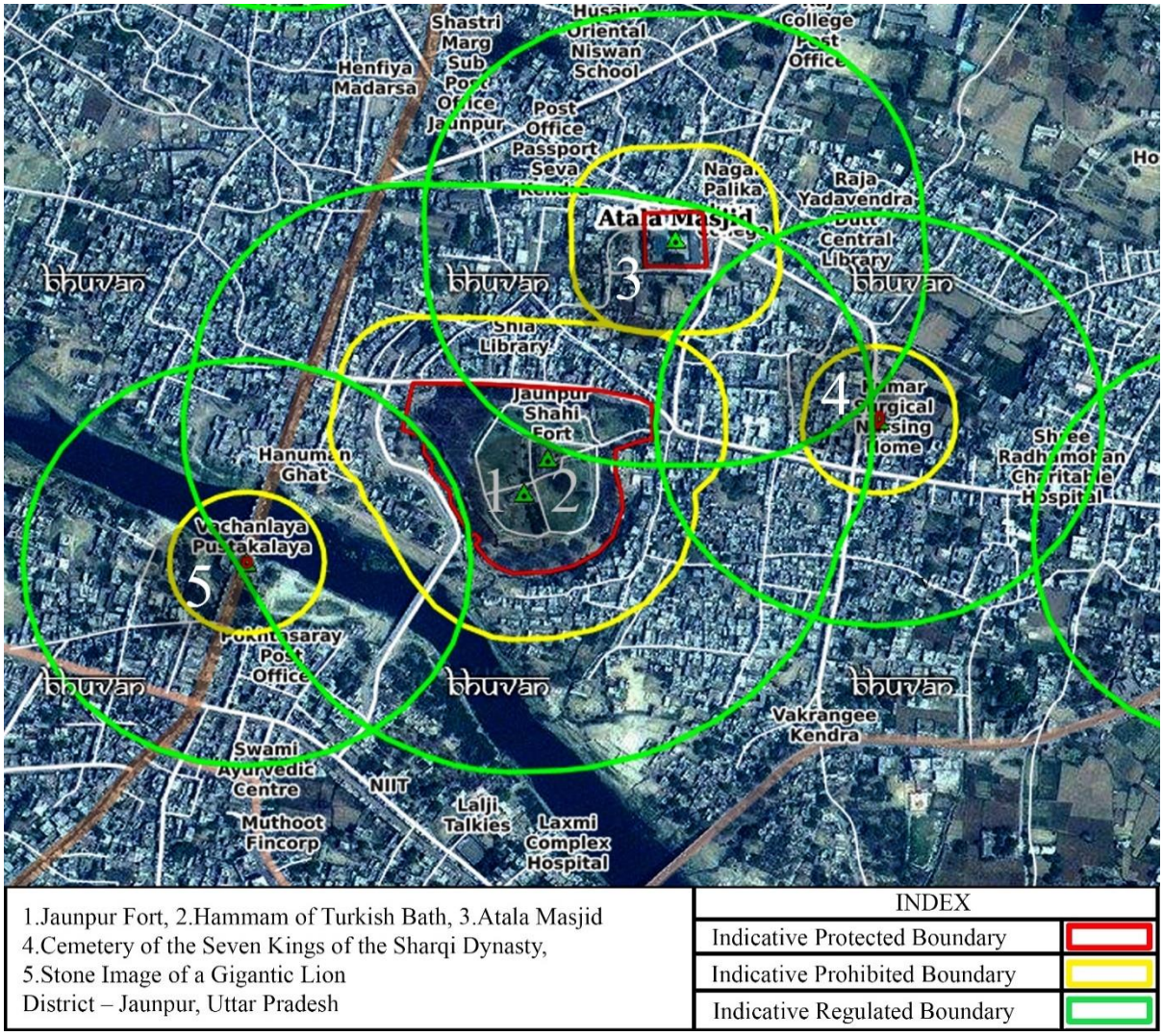

Figure 2: Satellite imagery showing the cluster of Protected Monuments[1].

The Protected Monuments are among the oldest historical buildings of Jaunpur and are also popular tourist destinations. The periphery of the Jaunpur Fort is enclosed by Fort Road (Shahi Qila Road) along its Northern and Western sides, while a narrow internal road defines the Eastern side. These peripheral roads are predominantly lined with residential, mixed-use, and commercial buildings. The nearest railway station is Jaunpur Junction, which is located in the city at a distance of approximately 1.6

[1] (Source: https://bhuvan-app1.nrsc.gov.in/culture_monuments/).

kilometres. The nearest International Airport is Lal Bahadur Shastri International Airport, located at Varanasi at a distance of approximately 40 kilometres via National Highway - 56 (Lucknow–Varanasi Road).

3.2 Protected Boundary of the Protected Monuments:

The boundary of the Protected Monuments – Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh, may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of the Protected Monuments – Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Protected Monuments:

Jaunpur Fort:

Jaunpur is located about 55 Kilometres North-West of Varanasi in Uttar Pradesh, on the banks of the Gomti River. Among its most significant historical landmarks is the Jaunpur Fort, commonly referred to as Shahi Qila.

It is believed that before the arrival of the Muslim rulers, the site of the present-day Jaunpur Fort was occupied by a Hindu stronghold called Kerar Kot Fort, ruled by local tribes such as the Bhar, Rajbhar, and Seories. Later, in 1359 C.E., Sultan Firoz Shah Tughlaq established the modern city of Jaunpur and constructed the fort as part of his Bengal campaign.

The fort not only served as a strategic military base but also symbolised the power of the Tughlaqs in the region. It was from here that the Sharqi Dynasty, founded by Malik Sarwar in 1393 C.E., rose to prominence. Under the Sharqi rulers, Jaunpur became known for its distinct architectural style, often referred to as Sharqi Architecture, marked by massive gateways, sloping walls, and lofty pylons that concealed single domes.

Although later periods witnessed decline and repeated damage, Jaunpur Fort remains a prominent monument, reflecting the city's transition from a Tughlaq outpost to the flourishing Sharqi capital. Its imposing structure on the Gomti continues to be a reminder of Jaunpur's historic and architectural legacy.[2]

3.4 Description of the Protected Monuments (architectural features, elements, materials etc.):

The Jaunpur Fort comprises structures, namely the grand fortification with its gateway, the Turkish Hammam, and the Shahi Mosque. Descriptions are as follows:-

[2] Archaeological Survey of India, Sarnath Circle.

Shahi Qila:

The Shahi Qila was built by Firoz Shah Tughlaq in 1360 C.E. over the remains of the old Kerar Kot fort. It is an irregular quadrangular structure on the left bank of the Gomti River, enclosed by a high stone wall raised on an earthen mound. The main entrance, located on the East, is a grand gateway with projecting piers, a lofty stone arch, and decorative carvings. The gateway has multiple recessed arches, panels with ornamental motifs, and a bracketed cornice. Round loopholed bastions guard the entrance from the North and South.

Turkish Hammam:

The Turkish Hammam lies inside the Janpur Fort, locally known as *Bhul-Bhullaiya.* Partly underground, it consists of a central hall and several small interconnected cells and chambers. These were designed for different purposes and included facilities for hot and cold water, toilets and other amenities, functioning as a grand bath complex.

Shahi Mosque:

The fort also houses a three-domed mosque built in 1377 C.E. in the typical Bengali style, attributed to Ibrahim Naib Barbak, the brother of Sultan Firoz Shah. A tall sandstone minar with an Arabic inscription stands before it. The mosque features double rows of pillars with varied designs, many reused from earlier structures. The arrangement of columns and pilasters creates unique but irregular patterns, with some bases and capitals set upside down. The West wall contains recessed bays with *mihrabs*, the central one highlighted with decorative colonnettes.[3]

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of the Protected Monuments - condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monuments are the exclusive domain of the Archaeological Survey of India (ASI). The photographs depicting the present condition of the Protected Monuments are appended at **Annexure-V**.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average daily footfall at the Protected Monuments is approximately 500–600 visitors per day. During occasional gatherings such as Eid, Muharram, and the New Year week, the footfall increases to about 30,000–40,000 visitors. In addition, residents from the local area visit the fort precincts for morning walks and physical exercise, which adds to the overall visitor numbers.[4]

[3] Archaeological Survey of India, Sarnath Circle.
[4] Ibid.

CHAPTER - 4

Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans

4.1 Existing Zoning:

i. As per the Jaunpur Master Plan–2031 (Revised), the existing Land-use zones in the Protected, Prohibited and Regulated Area are "*Awasiya*" (Residential), "*Vyavasayik*" (Commercial), "*Samudaik Suvidhaein*" (Community Facilities), "*Karyalay*" (Offices) and "*Park Avam Khule Sthal*" (Parks and Open Spaces). Refer Annexure-IV and IV(a).

ii. As per the Jaunpur Master Plan–2031 (Revised), outlined in Chapter 10, Para 10.5, the planning area or proposed urbanizable area of Jaunpur has been divided into four zones to facilitate comprehensive and planned development as per URDPFI guidelines. The Protected Monuments 'Jaunpur Fort' and 'Hammam of Turkish Bath', along with their Prohibited and Regulated Areas, fall within one of these four zones.[5]

4.2 Existing Guidelines of the Local Bodies:

i. All the development control norms and building regulations specified in the "Jaunpur Master Plan–2031 (Revised)" and "Model Building Construction and Development Bye-Laws and Model Zoning Regulations for Development Authorities of Uttar Pradesh 2025", as amended, are applicable.

ii. As per the "Model Building Construction and Development Bye-laws and Model Zoning Regulations for Development Authorities of Uttar Pradesh 2025", Chapter 2, Para 2.10 - Permission near Protected Monuments/Heritage Sites:-

   a) Development/Building permission shall not be granted inside the Prohibited Area of Protected Monuments/heritage sites declared by the Archaeological Survey of India (ASI). Further, permission for any construction in the Regulated Area shall be given on the basis of no-objection given by the Archaeology Department under the provisions of The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (as amended).[6]

   b) Apart from the Protected Monuments, the authority can set appropriate conditions and restrictions for granting permission for development/construction around important sites/buildings from the point of view of conservation of cultural, historical and architectural design heritage.[7]

[5] The specific names and detailed boundaries of each of the four zones are not provided in the currently accessible online summaries and reports.

[6] Model Building Construction and Development Bye-Laws and Model Zoning Regulations for Development Authorities of Uttar Pradesh 2025.

[7] Ibid.

CHAPTER - 5

Information as per First Schedule, Rule 21(1) / Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey Plan of the Protected Monuments:

The Survey Plan of Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh, may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Prohibited Area is approximately 1,38,273 square metres (34.168 Acres).

ii. Regulated Area is approximately 4,58,428 square metres (113.280 Acres).

5.2.2 Description of built-up area:

Prohibited and Regulated Area:

i. **North:**

Within the Prohibited Area, there are residences, shops, mosques, towers, and a commercial complex. In the North-East portion of this zone, additional residences, shops, a tower, and mosques are located.

In the Regulated Area, the surroundings include a postgraduate college, the District Institute of Education and Training, a post office, and Atala Masjid. The North-East portion further comprises a police post, two Inter colleges, the Nagar Palika Guest House, a mosque, a *mazaar*, residences, shops, and a private residential colony.

ii. **South:**

In the Prohibited Area, temples, residences, shops, and a mosque are situated, along with a Dharamshala and a bridge over the Gomti River. Some shops and residences extend along the riverbank.

The Regulated Area includes a few residences along the bank of Gomti River. The South-West contains a school, another bridge, a temple, and residences.

iii. **East:**

The Prohibited Area contains residences, shops, and mosques, while in the South-East, additional residences and shops, along with a mosque, are located.

The Regulated Area features a mosque, residences, shops, a tower, a school and a hotel, with the South-East portion including shops, residences, another mosque and a school.

iv. **West:**

Within the Prohibited Area, residences, shops, public toilets, a temple, and a Nagar Palika office are situated. The North-West portion includes additional residences, shops, a hospital and a tower.

In the Regulated Area, there are residences, shops, a school, and a mosque, along with Hanuman Ghat on the Gomti River bank and the old "Shahi Bridge" over the river. The North-West part also contains additional shops, residences, a mosque, a *kabristan* and a hospital.

5.2.3 Description of green/open spaces:

Prohibited and Regulated Area:

i. **North:**

In the Prohibited Area, open spaces are limited, with a small open area available within the hospital premises in the North-West.

In the Regulated Area, open spaces include vacant plots between existing buildings and land in the premises of the hospital, the District Institute of Education and Training, the Post Office, Atala Masjid and nearby residential colonies.

ii. **East:**

Within the Prohibited Area, a few vacant plots are interspersed between existing buildings, along with an open ground used for parking and parcels of land maintained as green cover.

In the Regulated Area, open spaces is in the form of vacant plots between buildings, areas with green cover and land within a school campus.

iii. **South:**

The Prohibited Area contains open spaces in the form of vacant plots and small patches with green cover, as well as additional open areas located along the Gomti River, its Ghats and riverbanks.

In the Regulated Area, open land is primarily associated with the Gomti River and its banks, with additional vacant patches and green-covered areas scattered between buildings.

iv. **West:**

Within the Prohibited Area, vacant plots are present between existing buildings and an open area is located within the Nagar Palika office premises.

In the Regulated Area, open spaces comprise of vacant plots between buildings, a *kabristan* and towards the South-West, at Hanuman Ghat along the Gomti River.

5.2.4 Area covered under circulation - roads, footpaths etc.:

The Jaunpur Fort is well-connected by a network of major city roads.

The Prohibited and Regulated Areas are further served by a network of internal streets and collector roads that facilitate vehicular movement across residential and commercial areas. Dedicated footpaths for pedestrian movement are unavailable on most of these roads.

5.2.5 Existing heights of the buildings:

Prohibited and Regulated Area:

i. **North:**

In the Prohibited and Regulated Areas, building heights range from G+2 to G+3, with a few exceptions of 18 metres towards the North-West Side. The Atala Masjid which is located in this direction, has an approximate height of 30 metres.

ii. **East:**

In the Prohibited and Regulated Areas, building heights range from G+1 to G+2, with a few G+3 structures of height up to 14 metres.

iii. **South:**

In the Prohibited and Regulated Areas, building heights range from G+1 to G+2, with a maximum height reaching up to 12 metres.

iv. **West:**

In the Prohibited Area, building heights range from G+1 to G+2. However, in the Regulated Area, along the Harlalka Road, a commercial throughfare, the average heights range from G+2 to G+3, with a maximum height up to 18 metres.

5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

“Shahi Bridge”, a State Protected Monument under the Uttar Pradesh State Archaeology Department (Directorate of State Archaeology), Government of Uttar Pradesh is situated to the South-West of the Protected Monument in the Regulated Area.

5.2.7 Public Amenities:

The Prohibited and Regulated Areas are well-equipped with essential public amenities.

5.2.8 Access to the Protected Monuments:

The Protected Monument is accessible via a major intersection of two metalled (bitumen) roads near the fort premises. The primary approach, Fort

Road, runs along the Northern side, providing direct vehicular access. It connects Eastward to Sultan Raja Road and the Saidpur–Khajurhat Road and Westward to the Jaunpur–Bhadohi Road, ensuring regional connectivity.

A secondary route, Mosque Street Road, links the Fort with nearby localities and the Atala Masjid. The surrounding road network is paved and motorable, with convenient access from the Jaunpur city centre and bus stand through local transport.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking, etc.):

The Prohibited and Regulated Areas are well-equipped with essential infrastructure services such as water supply, stormwater drainage and sewage system, solid waste management, Parking, etc.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

As per the Jaunpur Master Plan–2031 (Revised), outlined in Chapter 10, Para 10.5, the planning area or proposed urbanizable area of Jaunpur has been divided into four zones to facilitate comprehensive and planned development. The Protected Monuments ‘Jaunpur Fort’ and ‘Hammam of Turkish Bath’, along with their Prohibited and Regulated Areas, fall within Zone 01.

CHAPTER - 6

Architectural, Historical and Archaeological Value of the Protected Monuments

6.1 Architectural, Historical and Archaeological Value:

The Protected Monuments have immense historical value as they embody the political, military, and cultural history of Jaunpur. Built by Firoz Shah Tughlaq in 1360 C.E. over the remnants of the earlier Hindu stronghold Kerar Kot Fort, it became a key marker of Tughlaq dominion in the region. Under the Sharqi Dynasty, it evolved into a stronghold that defined Jaunpur's Indo-Islamic identity, while later Mughal interventions reinforced its defences for imperial control. In the colonial period, especially after the First War of Independence in the year 1857, the British modified the structure, leaving visible traces of military adaptation. The fort's survival through successive regimes demonstrates its strategic importance and its role as a canvas for political assertion and architectural transformation in North India.

Architecturally, the Shahi Fort is laid out as an irregular quadrangle, with massive stone walls enclosing an earthen mound along the Gomti River. The main Eastern gateway, reinforced with projecting piers, lofty arches, cusped recesses, and ornamented string carvings, illustrates the grandeur of Tughlaq construction while retaining elements of refinement. The bastions, loopholed parapets, and embattled walls emphasise its defensive character. Within the fort, the Turkish Hammam is a significant structure. Partly subterranean, it consists of small chambers, niches, and a central hall, once equipped with facilities for both hot and cold water. This highlights both the cultural exchanges of the period and the advanced engineering practices associated with royal leisure and hygiene.

Its three domes, varied column designs, and tall sandstone minaret with Arabic inscription represent the adaptive reuse of remnants and the development of the distinctive Sharqi style. Together, the Fort, Hammam and mosque form a unique ensemble of enduring historical, architectural and archaeological value, symbolising Jaunpur's role as a centre of power, culture and innovation in medieval India.

6.2 Sensitivity of the Protected Monuments (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The Protected Monuments are encircled by varied modern constructions within both the Prohibited and Regulated Areas, particularly towards the North, East, South-East, and West. In contrast, the South and South-West sides retain relatively open stretches of land along the bank of the Gomti River, providing some visual relief to the setting. However, with the ongoing expansion of the city, these surrounding zones have become increasingly vulnerable to the pressures of unplanned construction and development.

Being situated in such a diverse location, the Protected Monuments are sensitive to the following:-

i. The commercial stretch along Harlalka Road in the West shows incongruous development, with increasing building heights affecting the visual integrity of Jaunpur Fort and nearby Protected Monuments, including Atala Masjid.

ii. Roadside vendors and kiosks encroachments along access routes compromise the setting of the Protected Monuments.

iii. A subtle partial view of the Atala Masjid is visible from Jaunpur Fort, but ongoing urbanisation threatens to disrupt this historic visual link between the Protected Monuments.

iv. Scattered architecturally significant structures reflecting the region's traditional character contribute to the cultural landscape; however, many have lost their original character and the remaining ones face potential transformation.

v. The existing mobile tower within the vicinity creates a visual intrusion in the setting of the Protected Monument; construction of additional such towers may further compromise its visual integrity and heritage sensitivity.

6.3 Visibility from the Protected Monuments or Area and visibility from the Regulated Area:

Visibility from the Protected Monuments:

The visibility from the Protected Monuments is dominated by dense urban fabric towards the North-East, South-West, and West, interspersed with existing trees acting as a visual buffer. Glimpses of the Atala Masjid are also visible. Towards the South, a wide expanse of the Gomti River can be seen, with a backdrop of modern constructions and buildings.

Visibility from the Regulated Area:

In the North, East, South-East, and West directions, the visibility of the Protected Monument is obscured due to modern construction within both the Prohibited and Regulated Areas. In contrast, the fort walls are clearly visible from the South and South-West directions.

6.4 Land-use:

As per the Jaunpur Master Plan–2031 (Revised), the following land-use has been identified in the Protected, Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monuments.

Protected Monuments:

The Protected Monuments "Jaunpur Fort" and the "Hammam of Turkish Bath" are designated as *"Aitihasik avam Dharmik Sthal"* (Historical and Religious Places) under the*"Samudaik Suvidhaein"* (community facilities) land use zone. The peripheral areas of Jaunpur Fort in the Eastern, Southern, and Western directions are designated as *"Park / Khule Sthan"* (parks and open spaces) under *"Park avam Khule Sthal"* land use zone.

Prohibited and Regulated Areas:

The existing residential settlements present in the Northern, Eastern and Western directions are designated as *"Nirmit Kshetra"* (dense built-up area) under the

"Awasiya" (residential) land use zone. The portion of the residential settlement in the Southern direction across the Gomti River is designated as *"Awasiya"* (residential) under the *"Awasiya"* (residential) land use zone.

Towards the West, structures along both sides of the Harlalka Road are designated as *"Samanya Vyavasayik"* (general commercial) under the *"Vyavasayik"* (commercial) land use zone.

The Basic Shiksha Adhikari (BSA) office, District Institute of Education and Training near Kotwali Chauraha, along with its adjacent area and RSKD Inter College Jaunpur, is designated as *"Shaikshik Suvidhaein"* (educational facilities) under the *"Samudaik"* (community) land use zone.

The Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) office, Post Office, and adjoining lands are designated as *"Karyalay"* (offices). The Atala Masjid is designated as *"Aitihasik avam Dharmik Sthal"* (Historical and Religious Places) under the *"Samudaik Suvidhaein"* land use zone.

The riverbank is designated as *"Nadi Tat Vikas/Badh Prabhavit Kshetra"* (riverfront development/flood-prone area) under the *"Park avam Khule Sthal"* land use zone. Refer Annexures-IV and IV(a).

6.5 Archaeological heritage remains other than the Protected Monuments:

There are no known or reported archaeological heritage remains in the Prohibited and Regulated Area.

6.6 Cultural Landscapes:

The Jaunpur Fort, along with the Hammam of Turkish Bath, forms part of Jaunpur's cultural landscape and reflects a rich synthesis of historical, architectural, and urban elements spanning several centuries. The city features a network of Protected Monuments, including Atala Masjid and other Sharqi-era structures, interspersed with traditional residential and commercial settlements, which together create a unique urban fabric. The Gomti River, flowing along the Southern edge of the city, forms an integral component of this landscape, providing open spaces, visual relief, and a natural setting that enhances the prominence. Cultural practices, daily life, and festivals continue to thrive around these heritage sites and the riverfront, reinforcing the social and spiritual significance of the area. Traditional architecture, historic streetscapes, and scattered heritage buildings complement the monuments and natural features, and together form a cohesive and dynamic cultural landscape.

6.7 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting the Protected Monuments from environmental pollution:

The Gomti River along the South and South-West of the Protected Monuments are a significant natural landscape feature, forming an integral part of the cultural landscape. Although now visually disconnected, the historic linkage between the river and the fort remains evident. The Gomti River continues to contribute natural and historical value to the Monument's setting.

6.8 Usage of open space and constructions:

The open spaces interspersed between existing buildings within the Prohibited and Regulated Areas are primarily used as parking areas or for public gatherings. Open areas within college campuses, institutional premises, and residential colonies function as gardens, parks, fields, and playgrounds. In the South and South-West directions, the open spaces consist of the ghats along the Gomti River, serving recreational, religious and community purposes.

The constructions in the Prohibited and Regulated Areas are being used for institutional, commercial, residential, public, semi-public, office, transportation,and tourism purposes.

6.9 Traditional, Historical and Cultural Activities:

The Prohibited and Regulated Areas are primarily occupied by dense urban settlement and witness limited traditional or historic activities. The Gomti Riverfront, however to supports rituals and festivals. Its ghats remain active for religious ceremonies and community gatherings, serving as a major cultural venue, particularly during festivals.

6.10 Skyline as visible from the Protected Monuments and from the Regulated Areas:

Skyline as visible from the Protected Monuments:

The skyline as visible from the Jaunpur Fort towards the North, East and West directions is characterised by a dense urban fabric interspersed with trees, punctuated by mobile and telephone exchange towers. Towards the South, the skyline retains a similar character but is distinguished by the wide expanse of the Gomti River, providing a foreground to the built environment.

Skyline as visible from the Regulated Areas:

The skyline as visible from the Regulated Area towards the North, East and West directions is characterised by a typical urban profile dominated by mixed-use buildings, with only occasional glimpses of historically and architecturally significant structures. The Protected Monument does not form a part of the skyline in these directions. In contrast, the skyline visible from the Southern direction is defined by the prominent fort walls, which stand out as a key visual feature.

6.11 Traditional Architecture:

The traditional architecture evident within the Prohibited and Regulated Areas is characterised by a synthesis of Indo-Islamic design principles that evolved under the Sharqi Dynasty (14^{th}–15^{th} centuries). It is articulated through massive proportions, plain yet imposing façades and the use of locally available sandstone and lime plaster. Prominent mosques such as Atala Masjid exemplify this architectural idiom through wide arched openings, lofty pylons and restrained ornamentation, imparting a distinct austere character.

Traditional residential buildings within these areas are constructed in brick masonry with lime mortar, featuring stucco work and decorative balconies with louvred wooden shades. The use of iron section girders as brackets is also evident, emphasising structural strength over ornamentation. Façade are generally plain yet proportionate, contributing to a cohesive streetscape, while the overall architectural character is defined by compact layouts, narrow interconnected streets and syncretic detailing.

6.12 Developmental plan as available by the local authorities:

Jaunpur Master Plan–2031 (Revised). Refer Annexure-IV and IV(a).

6.13 Permissible Building related parameters:

The Protected Monuments – "Jaunpur Fort" and "Hammam of Turkish Bath", District – Jaunpur, Uttar Pradesh is located in close vicinity of other Protected Monuments namely; 'Atala Masjid', 'Cemetery of the Seven Kings of the Sharqi Dynasty', and 'Stone Image of a Gigantic Lion', forming a cluster (refer Figure 2), hence, the Prohibited and Regulated Areas of these Protected Monuments overlap. The Heritage Bye-Laws of these Protected Monuments should therefore be read in conjunction with one another. In the event of a site of construction simultaneously falling in the Prohibited Area of one Protected Monument and the Regulated Area of another Protected Monument, the site of construction shall be deemed to be falling in the Prohibited Area alone, and the building-related parameters shall be applicable accordingly. Further, if a site of construction falls in the Regulated Area of two separate Monuments, the likely adverse impact on account of the proposed construction on the Monument which is closer to the site of construction shall be given precedence.

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes, which include retrofitting/renovation, may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity, and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout, along with built-open relationships, are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in buildings/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High-Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling, or glazing are to be discouraged as far as feasible. The use of locally available building materials should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C (2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Area, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3 A Prohibited Area:

In general terms, as per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument.

6.13.3 B Regulated Area:

All the development control norms and building regulations specified in the **"Jaunpur Master Plan–2031 (Revised)" and "Uttar Pradesh Building Construction and Development Bye-Laws 2025"**, as amended, are applicable.

However, the height and other building-related parameters specified in this Heritage Bye-Law shall be applicable for all types of construction in the Regulated Area of the Protected Monuments.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse, structures of terrace garden, etc. or any other services on the roof):**
   i. The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **13.50 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater

harvesting system, penthouse, structures of terrace garden, etc. or any other services on the roof).

ii. Construction of the basement should be discouraged as far as feasible.

iii. In view of the identification of the Gomti riverbanks and adjoining low-lying areas of Jaunpur as flood-prone zones, as highlighted in the Jaunpur Master Plan–2031 (Revised), it is recommended that no new construction be permitted within the designated No Development and Construction Zone (NDCZ) overlapping with the river buffer and flood-prone areas (Highest flood level).

2. Usage:

i. The usage shall be in accordance with **Chapter 11, Zoning Regulations** of the **'Jaunpur Master Plan–2031 (Revised)'**.

ii. The general character of the surroundings should be maintained as existing.

iii. The historic and architecturally significant buildings should retain their usage and character (footprint and façade) in the future. Any external additions to the historic structure, whether horizontal or vertical, should be discouraged.

iv. Any conversion of land within the Prohibited Area and Regulated Area of a Protected Monument or Protected Area should be done after prior consultation with the National Monuments Authority.

3. Façade design:

i. The façade design of new construction should be minimalistic in nature, so that it does not overpower the Protected Monument.

ii. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior façade should be discouraged.

iii. Use of coloured glazed façade should be discouraged.

iv. Informal extensions of shops and residences should be discouraged for all the buildings located in the Regulated Area.

4. Roof design:

i. Flat roof design may be followed with low parapet walls along the edges.

ii. Erection of Structures, even of a temporary nature, using materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials, should be discouraged on the roof of the building.

iii. All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets, louvers, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

5. Building material:

i. Consistency in building materials and colour along all street façades of the Protected Monument should be maintained.

ii. Modern building materials like brick and cement may be used, which are non-intrusive to the heritage character of the Protected Monument and its surrounding areas.

iii. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, white, beige, and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposals for the construction of large-scale public infrastructure projects such as Metro Rail Systems (underground or elevated), rail or road over bridges, flyovers, multi-level parking facilities, or similar development projects and construction of institutional buildings in the public interest or which are essential for public, shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment (HIA) report. Such projects may be considered only if it is clearly established that they will not cause any significant adverse impact on the preservation, safety, security, visual integrity, or accessibility of the Protected Monument or its immediate surroundings.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities should be considered as far as feasible.

CHAPTER 7

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. Any measures taken by the local bodies for the safety and security of the general public and properly in the flood-prone zone may be permitted.

ii. All temporary structures along the road, like dhabas/ workshops/ roadside vending kiosks, etc., may be relocated away from the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monuments.

iii. The local administration should take proactive measures to address encroachments on the approach road to the Protected Monuments.

iv. LED or digital signs, plastic fibre glass or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monuments or its immediate surrounding areas.

v. No advertisements in the form of hoardings, bill boards and posters should be permitted near the Protected Monuments, especially on the boundaries of the Protected Monuments.

vi. Telephone exchange, mobile towers, electricity transmission towers, chimneys and overhead water tanks within the Regulated Area should be discouraged and sitting them beyond the Regulated Area may be considered.

vii. The widening of the existing roads, if done, should be in the direction away from the Protected Boundary of the Protected Monuments.

viii. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monuments may be encouraged to mitigate adverse impacts on the Protected Monuments due to vehicular emissions and vibrations.

ix. Construction of green buildings including best practices like rainwater harvesting etc. should be encouraged.

7.2 Other Recommendations:

i. Whenever the Master Plan, Zonal Plan or Development Plan is prepared or amended, it should clearly show all Protected Monuments of national importance and their Prohibited and Regulated Area.

ii. Provisions for differently-abled persons should be provided as per prescribed standards, as far as feasible.

iii. The area should be declared as a Plastic and Polythene free zone.

iv. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf.

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE-I

जौनपुर किला और तुर्की का हम्माम, जिला–जौनपुर, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना
Survey Plan of Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath, District-Jaunpur, Uttar Pradesh

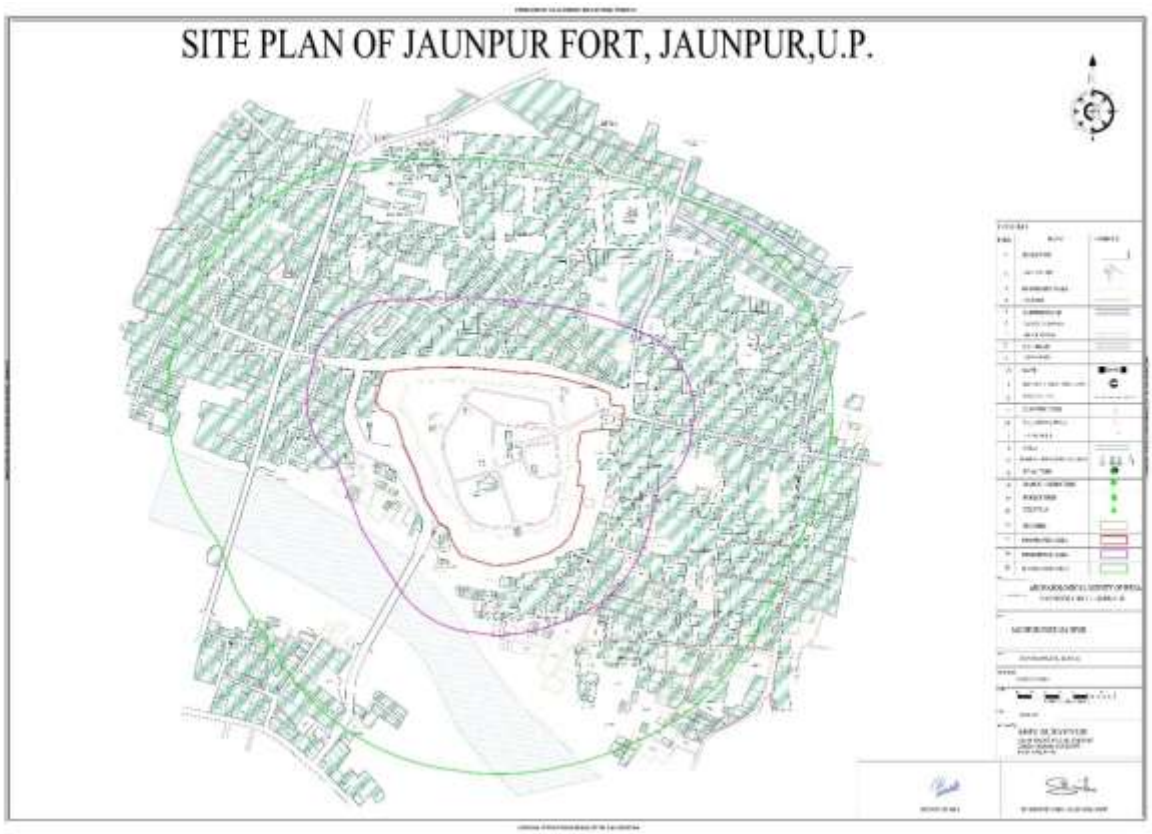

अनुलग्नक-II
ANNEXURE-II

संरक्षित संस्मारकों की अधिसूचना
Notification of the Protected Monuments

मूल अधिसूचना
Original Notification

Government of United Provinces
Public Works Department
Buildings and Roads Branch

Dated Allahabad, the 22nd December, 1920

No. 1645-M/1133.- In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1412M, dated the 18th November, 1920, published at pages 1851-1885 of Part I of the United Provinces Gazette, dated the 20th November, 1920, so far as it relates to the undermentioned monuments and to direct that the protection of the remaining monuments is not confirmed as they are either already protected monuments or their protection is not considered necessary.

By order,

A.C. Verrieres,
Secretary to Government, United Provinces

Sl. No.	Name of Monuments.	Situation: District.	Locality. Village. Tahsil	Bounded by: East.	West.	North.	South
1.	Tomb of Sher Zaman Khan.	Jaunpur	On Jaunpur-Lucknow road on the bank of the Gumti river	..	..	..	..
2.	Stone Lion. (Part of the Gumti bridge.)	Do.	In city on Akbar's Bridge.	..	..	..	..
3.	Jaunpur Fort	Do.	In the Jaunpur city.	..	..	..	..
4.	Hamam of Turkish Bath	Do.	In the old Fort at Jaunpur.	..	..	..	..
5.	King's Tomb	Do.	On the North side of the Jami Masjid opposite gateway.	..	..	..	..
6.	Sheikh Burhan's Mosque	Do.	Near Zafarabad and three miles east of Jaunpur city.	..	..	..	..
7.	Kaliah Khan ki Maqbara	Do.	Further up the Sultanpur road.	..	..	..	..
8.	British Monuments	Do.	At Jaunpur.	..	..	..	..
9.	Jhanjhri Masjid	Do.	Situated in Sipah muhalla on the bank of the river Gumti.	..	..	..	..
10.	Bridge over the Sai.	Do.	At Jalalganj on the Jaunpur and Benares road.	..	..	..	..
11.	Stone bridge over the Sai.	Do.	At Sikara on the Allahabad and Jaunpur road.	..	..	..	..

मूल अधिसूचना की टंकित प्रति
Typed copy of Original Notification

Government of United Provinces
Public Work Department
Buildings and Roads Branch

Dated Allahabad, the 22nd December, 1920.

No. 1645-M/1133. – In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1412M, dated the 18th November, 1920, published at pages 1851-1885 of Part I of the United Provinces Gazette, dated the 20th November, 1920, so far as it relates to the undermentioned monuments and to direct that the protection of the remaining monuments is not confirmed as they are either already protected monuments or their protection is not considered necessary.

By order,
A.C. Verrieres,
Secretary to Government, United Provinces.

			Situation			Bounded by			
Sr.No.	Name of Monuments	District.	Locality	Village	Tahsil	East	West	North	South
1.	Jaunpur fort	Jaunpur	In the Jaunpur city	...	...	...	...	...	...
2.	Hammam of Turkish Bath	Jaunpur	In the old Fort at Jaunpur	...	...	...	…	...	...

अनुलग्नक-III

ANNEXURE-III

जौनपुर किले की अभिलेखीय स्थल योजना और तुर्की के हम्माम की योजना
Archival Site Plan of Jaunpur Fort and the Plan of Hammam of Turkish Bath

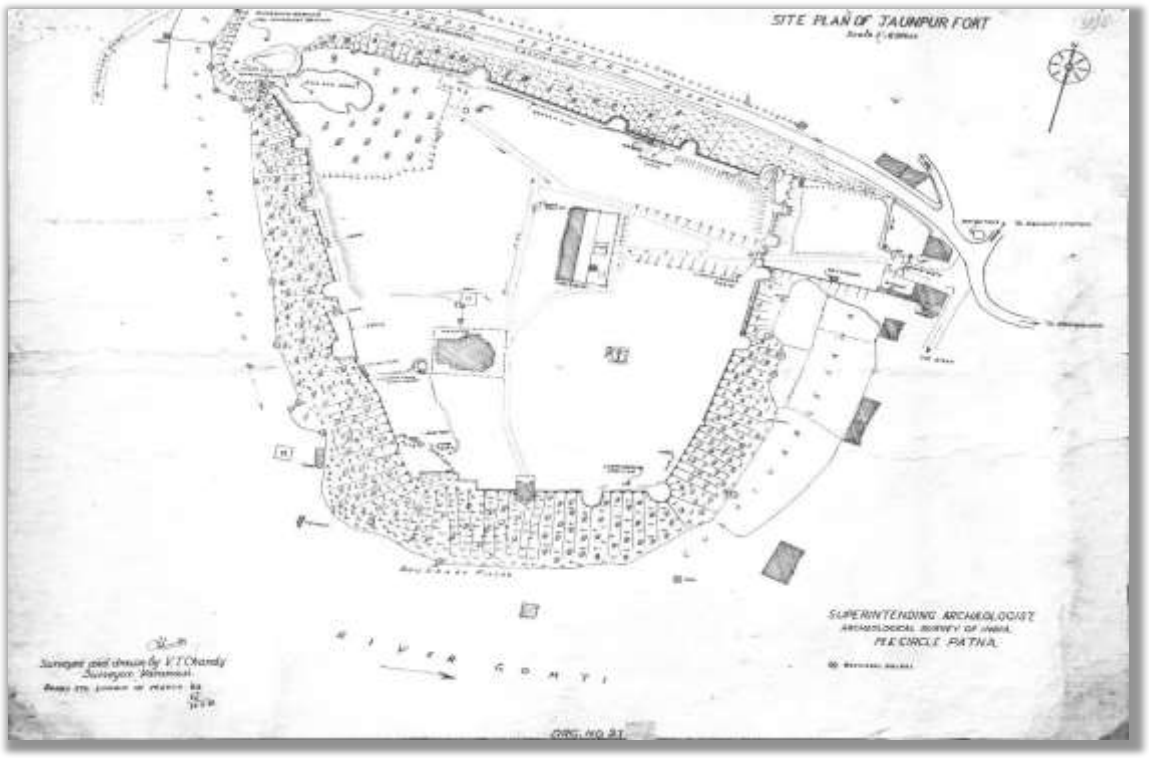

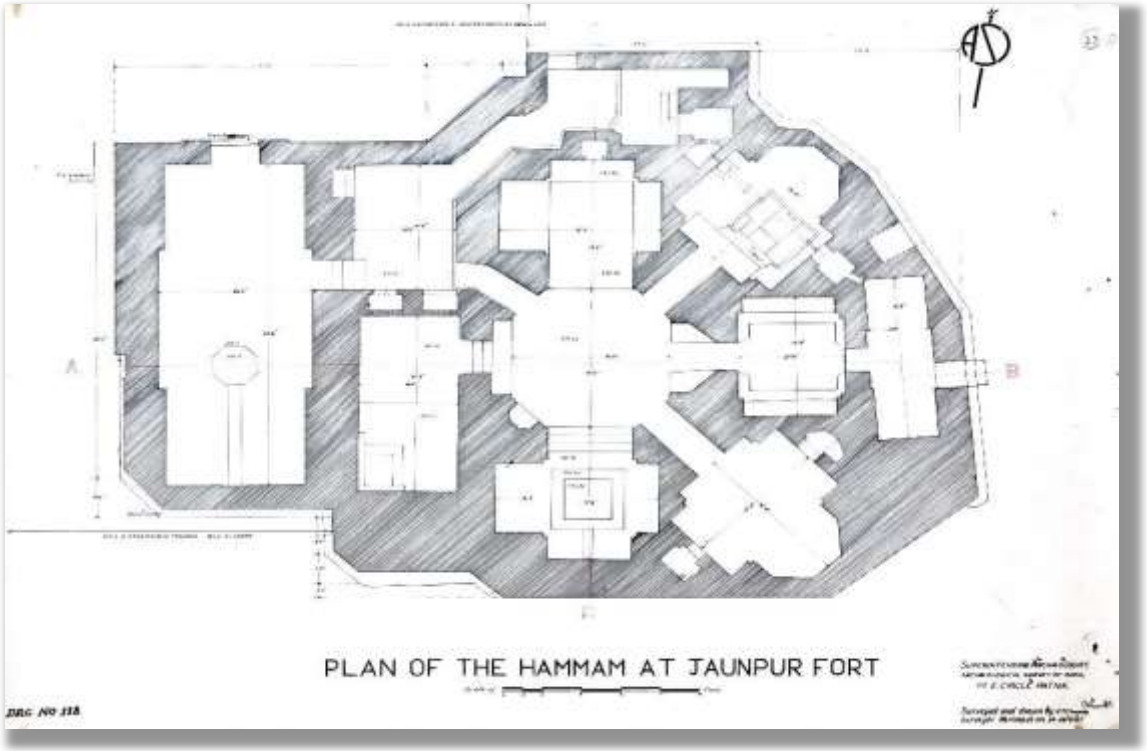

अनुलग्नक-IV
ANNEXURE-IV

जौनपुर महायोजना-2031 (संशोधित)
Jaunpur Master Plan–2031 (Revised)

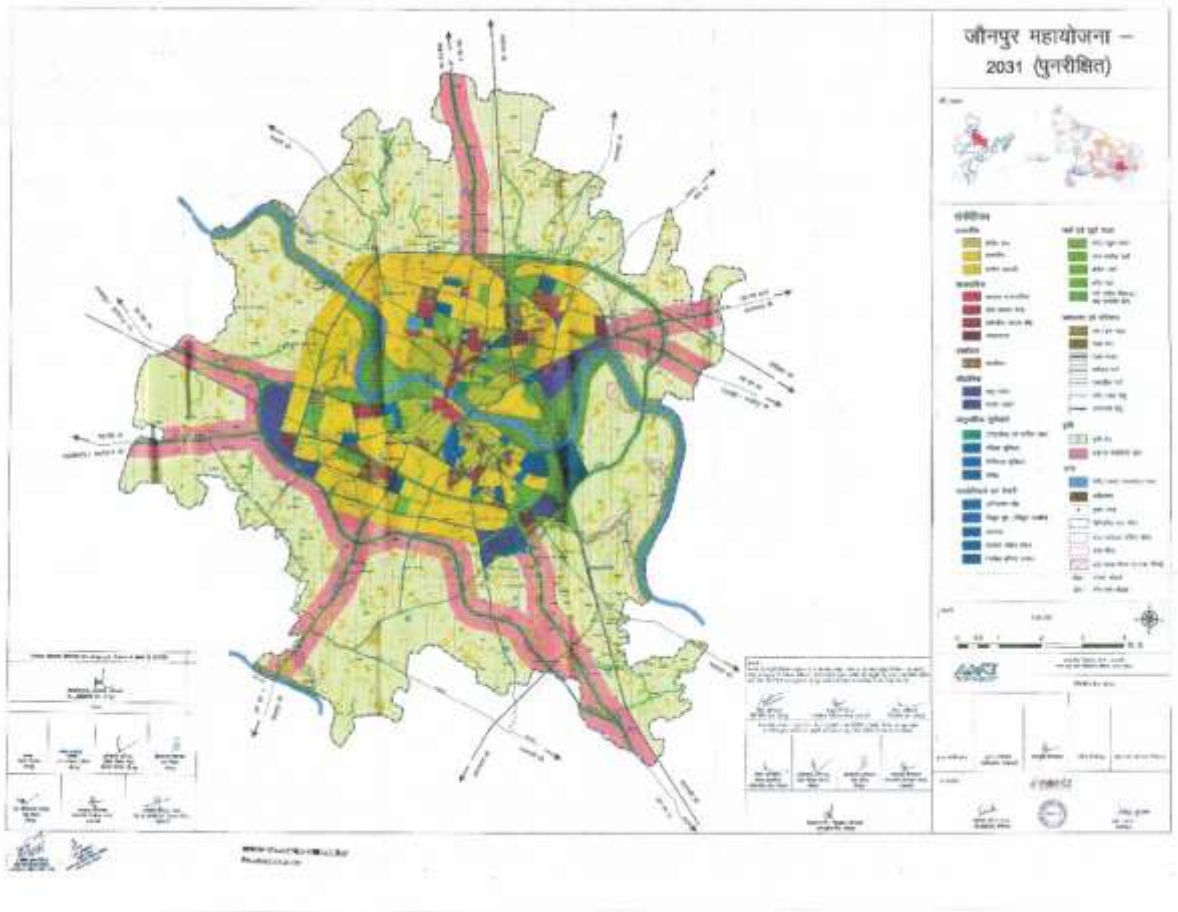

अनुलग्नक-IV(क)
ANNEXURE-IV(a)

जौनपुर महायोजना-2031 (संशोधित)
Jaunpur Master Plan–2031 (Revised)

विस्तृत
Enlarged

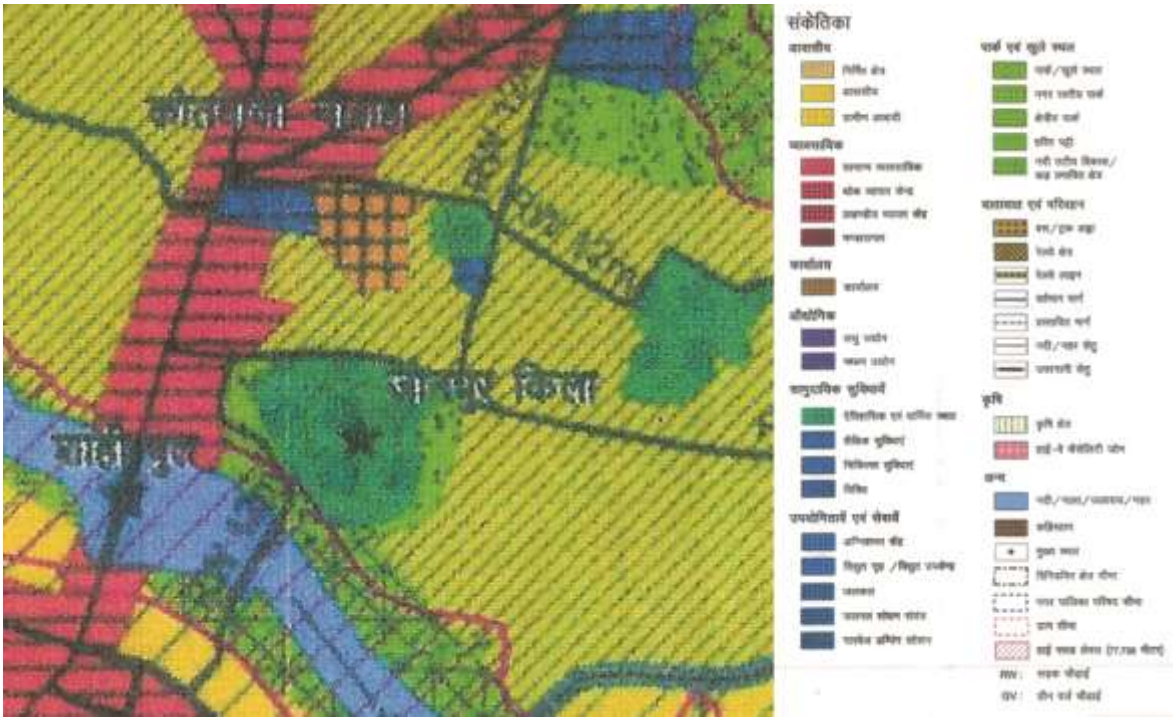

अनुलग्नक-V
ANNEXURE-V

संरक्षित संस्मारकों और उसके आसपास के क्षेत्रों के चित्र
Images of the Protected Monuments and its surrounding areas

चित्र 1: जौनपुर किले का प्रवेश द्वार और तुर्की का हम्माम।
Image 1: Entrance Gateway to Jaunpur Fort and Hammam of Turkish Bath.

चित्र 2: जौनपुर किले की किलेबंदी की दीवार और बुर्ज।
Image 2: Fortification wall and Bastions at Jaunpur Fort.

चित्र 3: तुर्की का हम्माम।
Image 3: Hammam of Turkish Bath.

चित्र 4: शाही मस्जिद।
Image 4: Shahi Mosque.

चित्र 5: किले की दीवार से दक्षिण-पूर्व दिशा में दिखाई देने वाला क्षितिज ।
Image 5: Skyline as visible towards the South-Eastern direction from the Fort wall.

चित्र 6: गोमती नदी के घाटों के किनारे निर्मित संरचना।
Image 6: The built-up character along the Ghats of the Gomti River.

चित्र 7: जौनपुर किले से दक्षिण-पश्चिम दिशा का दृश्य।
Image 7: View from the Janpur fort towards the South-Western direction.

चित्र 8: किले की सड़क के किनारे निर्मित क्षेत्र का सामान्य स्वरूप ।
Image 8: General character of the built-up Area along the fort road.

चित्र 9: जौनपुर किले के निकट एक अन्य संरक्षित संस्मारक, अटाला मस्जिद।

Image 9: Atala Masjid, another Protected Monument, in proximity to Jaunpur Fort.

चित्र 10 और 11: संरक्षित संस्मारक के आसपास मौजूद पारंपरिक वास्तुकला के उदाहरण ।
Images 10 and 11: Example of traditional architecture present in the vicinity of the Protected Monuments.